वाप्कोस दर्पण

राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से
देश को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है।

"क" क्षेत्र
"ख" क्षेत्र
"ग" क्षेत्र
राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं

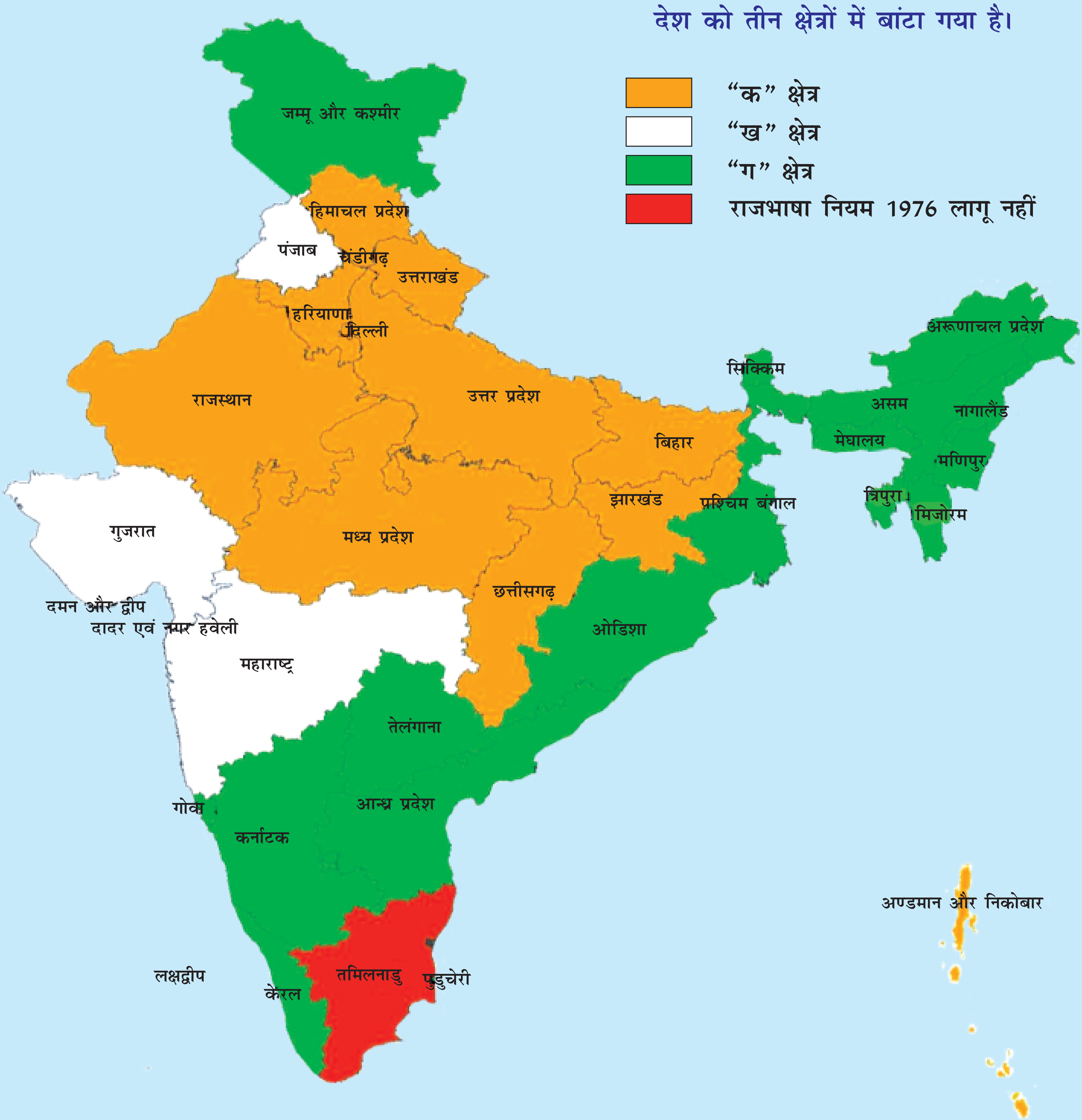

संयुक्तांक

अंक 98-99, जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा वाप्कोस लिमिटेड
गुरुग्राम कार्यालय का दिनांक 07.11.2020 को किया गया निरीक्षण

हिन्दी पखवाडे 2020 के दौरान आयोजित 'राजभाषा नीति ज्ञान' प्रतियोगिता

वाप्कोस दर्पण

अंक 98 व 99 जुलाई 2020 से दिसम्बर, 2020

संरक्षक
देवश्री मुखर्जी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

तकनीकी संपादन सलाहकार
अमिताभ त्रिपाठी
वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक

संपादन मण्डल
अनुपम मिश्रा
निदेशक एवं अध्यक्ष, विराकास
डॉ. डॉ. आर.पी. दूबे
मुख्य कार्यकारी निदेशक
अमिताभ त्रिपाठी
वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक

संपादक
प्रेम प्रकाश भारद्वाज
प्रमुख (कार्मिक व रा.भा.का.)

उप संपादक
दलीप कुमार सेठी
प्रबंधक (रा.भा.का.)

सहयोग
गीता शर्मा
उप प्रबंधक
शारदा रानी
वरिष्ठ सहायक

(पत्रिका के अंतर्गत प्रकाशित लेखों में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के अपने हैं। संपादन मण्डल का इसके लिए सहमत होना अनिवार्य नहीं है।)

केवल आन्तरिक वितरण हेतु

इस अंक में			पृष्ठ सं.
संदेश	–	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री	3
संदेश	–	श्री रतन लाल कटारिया, जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री	4
संदेश	–	श्री यू.पी. सिंह, सचिव, जल शक्ति मंत्रालय	5
संदेश	–	श्री राजीव गौबा, मंत्रीमंडल सचिव	6
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की कलम से			7
संबोधन	–	निदेशक एवं अध्यक्ष विराकास	8
दो शब्द	–	मुख्य कार्यकारी निदेशक एवं सदस्य संपादन मण्डल	9
दो शब्द	–	वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (बांध व जलाशय) एवं तकनीकी संपादक	10
संपादकीय	–	प्रमुख (कार्मिक व रा.भा.का.) एवं संपादक	11
राजभाषा गतिविधियां			12
कृष्ण का आह्वान			14
वाप्कोस में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन			15
हिन्दी दिवस – 14 सितम्बर, 14 बातें			20
लेख – आत्मनिर्भर भारत			22
लेख – 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'			24
लेख – आम आदमी			25
संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा वाप्कोस के गुरुग्राम कार्यालय का निरीक्षण			26
लेख – राजभाषा हिन्दी के प्रभावी कार्यान्वयन में दस 'प्र' की भूमिका			30
लेख – भारत की प्रथम महिला– शांता कुमारी, प्रथम बैंक मैनेजर			35
लेख – दूध की लालसा			38
राजभाषा नियम 1976			45
लेख – जोकर की सीख			46
वाप्कोस के फील्ड/क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़े की रिपोर्ट/झलकियां			47
लेख – भाड़भूत बैराज परिक्रमा			51
कविताएं			54
भजन – उठ जाग मुसाफिर			55
लेख – राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रभाषा – हिन्दी			56
लेख – वाप्कोस की जल क्षेत्र में भूमिका			63

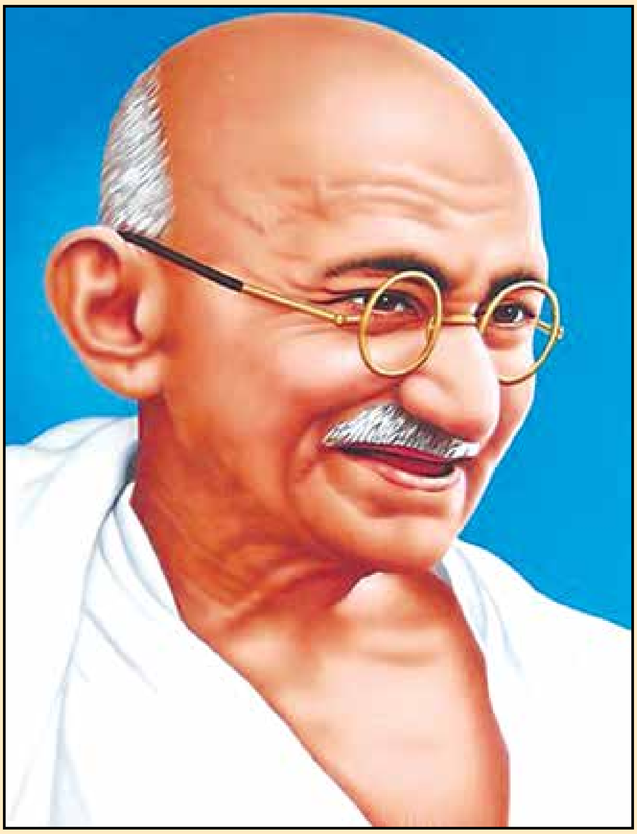

समाजवाद एक सुन्दर शब्द है, और जहां तक मुझे मालूम है, समाजवाद में समाज के सब सदस्य बराबर होते हैं- न कोई नीचा, न कोई ऊंचा। किसी व्यक्ति के शरीर में सिर सबसे ऊपर होने के कारण ऊंचा नहीं होता। और न पैर के तलवे जमीन को छूने के कारण नीचे होते हैं। जैसे व्यक्ति के शरीर के सब अंग बराबर होते हैं, वैसे ही समाजरूपी शरीर के सारे अंग भी बराबर होते हैं। यही समाजवाद है।

- अहिंसक समाजवाद की ओर से, पृ0 10

गजेन्द्र सिंह शेखावत
Gajendra Singh Shekhawat

सत्यमेव जयते

जल शक्ति मंत्री
भारत सरकार
Minister for Jal Shakti
Government of India

11 SEP 2020

संदेश

हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

हमें भारतीय संविधान द्वारा हिन्दी को बढ़ावा देने और उसके प्रचार-प्रसार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारा देश विविध बोलियों एवं भाषाओं की संगम स्थली है। भाषा न केवल संस्कृति का अभिन्न अंग है, बल्कि कुंजी भी है। देश में सांस्कृतिक समन्वय के जो प्रयास हो रहे हैं उसमें हिन्दी भाषा का विशेष योगदान है। हिन्दी अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपनी सरलता, सहजता, बोध गम्यता और समन्वय की भावना से निरन्तर आगे बढ़ते हुए पूरे देश में संपर्क सूत्र बन गई है।

इस बदलते युग में, सरकारी कार्यालयों के काम करने की प्रक्रिया व ढंग बदल रहा है। आज अधिकांश कार्य कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा हो रहे हैं। अतः कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न कम्प्यूटर सिस्टमों और सॉफ्टवेयरों में हिन्दी में कार्य करने की पूर्ण सुविधा हो, नहीं तो बढ़ते हुए कम्प्यूटरीकरण में हिन्दी की प्रगति में रूकावट पहुंचेगी।

राजभाषा के रूप में हिन्दी स्वीकारने का मुख्य उद्देश्य है कि जनता का काम जनता की भाषा में सम्पन्न हो, उसमें कठिन भाषा शैली के लिए कोई स्थान नहीं होता। सरकारी कामकाज में हिन्दी की प्रगति एवं प्रचार-प्रसार के लिए आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। कार्यालय की भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग करके उसे बोझिल न बनाएं।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में उत्साह के साथ "हिन्दी पखवाड़ा" समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हम अपने कामकाज में राजभाषा का अधिकाधिक प्रयोग करके संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण भावना का परिचय देंगे।

हिन्दी दिवस के अवसर पर आप सभी को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

Office : 210, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110 001
Tel: No. (011) 23711780, 23714663, 23714200, Fax : (011) 23710804
E-mail : minister-mowr@nic.in

रतन लाल कटारिया
RATTAN LAL KATARIA

जल शक्ति
और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001
MINISTER OF STATE FOR
JAL SHAKTI AND SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI - 110001

सत्यमेव जयते

संदेश

प्रिय साथियो !

हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ ।

भारत के संविधान के अनुसार, संघ की राजभाषा हिन्दी है । इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करें । राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए हमें राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए । वास्तव में हिन्दी में काम करने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि भाषा को सहज एवं सरल रूप से लिखा जाए ।

सरकारी कामकाज में पिछले कई वर्षों से हिन्दी का निरन्तर विकास हुआ है और कार्यालयों में हिन्दी को सुगम बनाने के लिए अनेक सुविधाएँ उपलब्ध हैं । सूचना क्रान्ति के इस युग में अपने विकास को कायम रखने के लिए हिन्दी को भी नई तकनीकों से लैस करना होगा और आधुनिक सुविधाओं के उपयोग से हिन्दी को आगे बढ़ाना होगा । हिन्दी भाषा का प्रयोग करने वालों तक इसका पूरा लाभ पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि कम्प्यूटर पर हिन्दी प्रयोग के लिए यूनिकोड का प्रयोग किया जाए । साथ ही यह भी जरूरी है कि हम कम्प्यूटरों पर उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं के उपयोग से हिन्दी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें ।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में 14 सितम्बर, 2020 से 28 सितम्बर, 2020 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है । मुझे विश्वास है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कामकाज में सहज-सरल हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करके संविधान के प्रति निष्ठा और समर्पण का पूर्ण परिचय देंगे । हिन्दी में काम करने की भावना केवल "हिन्दी पखवाड़े" तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे वर्ष हिन्दी में कार्य किया जाना चाहिए ।

'हिन्दी पखवाड़े' के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देते हुए 'हिन्दी पखवाड़े' की सफलता की कामना करता हूँ ।

(रतन लाल कटारिया)

215, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110 001, 215, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110 001
दूरभाष : (011) 23708419, 23718759, फैक्स : 011-23354496, Tel. : (011) 23708419, 23718759, Fax : 011-23354496
Delhi Residence : 2, Tughlak Lane, New Delhi, Phone : 011-23018776
Residence : 352, Katariya Kunj, Mata Mansa Devi Complex, Sector-4, Panchkula, Haryana, Tel. : 0172-2555352,

यू. पी. सिंह, आई. ए. एस
U.P. SINGH, IAS
सचिव
SECRETARY
Tel. : 23710305
Fax : 23731553
E-mail : secy-mowr@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास
और गंगा संरक्षण विभाग
श्रम शक्ति भवन
रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION
SHRAM SHAKTI BHAWAN
RAFI MARG, NEW DELHI-110 001
http://www.mowr.gov.in

अपील

हिन्दी देश की भावनात्मक एकता की कड़ी है। हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो हर व्यक्ति को एक सूत्र में बांध सकती है। किसी भी समाज, राष्ट्र और सभ्यता की पहचान उसकी अपनी भाषा से होती है। भाषा विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम होती है। हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना एक राष्ट्रीय कार्य है।

हिन्दी को संघ की राजभाषा के रुप में अपनाने के संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हिन्दी में कामकाज करने की इच्छा शक्ति स्वतः जागृत हो। इस संबंध में कार्यालय के उच्च अधिकारी पहल कर कार्यालय में सकारात्मक माहौल तैयार कर सकते है। देश भी अपनी भाषा से ही महान एवं शक्तिशाली बनता है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में 14 सितम्बर, 2020 से 28 सितम्बर, 2020 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से हम' हिन्दी पखवाड़े' के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करते आ रहे हैं । लेकिन इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण सिर्फ दो प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है । मुझे आशा है कि विभाग के अधिक से अधिक अधिकारी और कर्मचारी इसमें भाग लेंगे और यह आयोजन हिन्दी काम करने के लिए आप सभी को उत्साह और प्रेरणा प्रदान करेगा। हिन्दी में काम करने की भावना केवल हिन्दी पखवाड़े तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे वर्ष हिन्दी में कार्य किया जाना चाहिए ताकि हम अपने संवैधानिक दायित्वों को निभा सकें।

इस अवसर पर, मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और '**हिन्दी पखवाड़े**' के सफल आयोजन की कामना करता हूँ।

(यू. पी. सिंह)

राजीव गौबा
Rajiv Gauba

मंत्रिमंडल सचिव
भारत सरकार
CABINET SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

संदेश

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

हिंदी आज जन-जन की भाषा बन चुकी है। हमारे देश के अधिकांश भूभाग पर बोली जाने वाली हिंदी अब केवल राजभाषा एवं संपर्क भाषा ही नहीं है बल्कि वह विश्वभाषा बनने की ओर अग्रसर है। हिंदी भाषा के इसी स्वरूप एवं राष्ट्र निर्माण में हिंदी के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए हमारी संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। इसी दिन से हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाते हैं।

सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग पहले की तुलना में अब काफी बढ़ रहा है। फिर भी हमें इसके उत्तरोत्तर प्रयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि उच्च अधिकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के लिए उत्साहवर्धक एवं अनुकूल वातावरण बनाएं तथा सरकारी कार्यों में हिंदी में मूल लेखन को प्रोत्साहित करें। अधिकारी/कर्मचारी टिप्पणियां एवं मसौदे इत्यादि मूल रूप से हिंदी में तैयार करने एवं हिंदी में पत्राचार को बढ़ाने का प्रयास करें। साथ ही हम अपने सरकारी कार्यों में सहज एवं सरल हिंदी के प्रयोग पर भी बल दें।

आइए, "हिंदी दिवस" के इस पावन अवसर पर हम पुन: सरकारी कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए स्वयं को समर्पित करें।

जय हिंद ।

14 सितंबर, 2020

(राजीव गौबा)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की कलम से

वाप्कोस दर्पण के आगामी अंक 98वें व 99वें (संयुक्तांक) के जरिए अपने विचार आप सभी के साथ साझा करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। भारत के इतिहास में 14 सितम्बर एक महत्वपूर्ण एवं स्मरणीय दिन है क्योंकि वर्ष 1949 को इसी दिन भारत के संविधान ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर **'हिन्दी दिवस'** के रूप में मनाया जाता है। इसी महत्वपूर्ण दिवस की गरिमा को बनाए रखने के लिए वाप्कोस में 07 से 21 सितम्बर, 2020 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया।

हिन्दी पखवाड़े के दौरान वाप्कोस में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें काफी कार्मिकों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। हिन्दी बहुत ही सरल और उदार भाषा है। यह पूरे भारत में बोली व समझी जाती है। सम्पर्क सूत्र बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा से अच्छी कोई भाषा नहीं है क्योंकि यह सबसे अधिक बोली व समझे जाने वाली भाषा है। राजभाषा हिन्दी सरकार एवं संपूर्ण देश की आम जनता के बीच संवाद की भाषा होकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कार्मिक कम्प्यूटरों पर हिंदी प्रयोग के लिए यूनिकोड का प्रयोग करें और कम्प्यूटरों पर उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं के अधिकाधिक उपयोग से हिंदी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।

मेरा वाप्कोस के सभी कार्मिकों से सप्रेम अनुरोध है कि अपने-अपने सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें ताकि वाप्कोस गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के वर्ष 2020-21 के वार्षिक कार्यक्रम में दिये गए निर्धारित लक्ष्यों का प्राप्त कर सके।

गत वर्ष कोरोना वायरस रोग कोविड-19 महामारी के रूप में सामने आया और तब से इसने न केवल दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, बल्कि इसने वैश्विक आर्थिक वातावरण को भी हानि पहुंचाई है। इस महामारी से वाप्कोस परिवार के बहुत से सदस्य व उनके परिवार भी प्रवाहित हुए। इस महामारी से हमने अपने वाप्कोस परिवार के कुछ सदस्यों को आकस्मिक और असामयिक खो दिया जिसके लिए अत्यंत दुख के साथ मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। वह वाप्कोस परिवार की अमूल्य धरोधर थे। इस दुख की घड़ी में वाप्कोस परिवार उनके परिवारों के साथ हैं।

मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द टीकाकरण करवाएं व टीकाकरण के बाद भी मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए, सेनिटाइजर का उपयोग और साबुन से लगातार हाथ धोने सहित कोविड-19 के उचित व्यवहार का कड़ाई से पालन करें। कोविड-19 को हम सभी को मिल कर हराना है।

देवश्री मुखर्जी

(देवश्री मुखर्जी)

अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

संबोधन

हिन्दी दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

"वाप्कोस दर्पण" गृह पत्रिका के इस संयुक्तांक (अंक 98 व 99) के माध्यम से अपने विचार आप सब तक पहुंचाते हुए मैं अत्यंत हर्ष महसूस कर रहा हूँ। हिन्दी भारत की राजभाषा ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच संवाद करने की सबसे बड़ी सम्पर्क भाषा भी है। भाषा विचारों के आदान-प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण सशक्त माध्यम भी है। हिन्दी के इसी महत्व को देखते हुए इसे संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था।

वाप्कोस के तकनीकी प्रभागों द्वारा कार्यालय के अपने कामकाज में हिन्दी का प्रयोग हिन्दी के प्रचार-प्रसार में एक महत्वपूर्ण योगदान है। सूचना प्रौद्योगिकी के आज के इस युग में हिन्दी का प्रयोग व्यापक रूप से विकसित हो रहा है। राजभाष विभाग, गृह मंत्रालय के यूनिकोड समर्थित हिन्दी साफ्टवेयर इंडिक आईएमई की सहायता से हिंदी में बड़ी आसानी से कार्य किया जा सकता है।

वाप्कोस में 07 सितम्बर से 21 सितम्बर 2020 तक "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया। इस दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गईं। इन प्रतियोगिताओं में कार्मिकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इसी के साथ हिन्दी पखवाड़े के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ।

अनुपम मिश्रा

(अनुपम मिश्रा)

निदेशक (वाणि. व मा.सं.वि.)

एवं अध्यक्ष, विराकास

दो शब्द

हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर आपको मेरी शुभकामनाएं।

भारत विविध संस्कृतियों और भाषाओं का देश है। हिन्दी ने हमारी राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को न केवल संजोए रखा है अपितु उसके विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रत्येक व्यक्ति में असीम प्रतिभा मौजूद होती है, परन्तु लेखन एक ऐसी प्रतिभा है जो यदि जनभाषा में हो वह व्यक्ति की प्रतिभा को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दूसरे व्यक्ति को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिन्दी हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है। यह एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम अपनी बात किसी को भी बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। यह जीवन और समाज की जरूरतों से जुड़ी एक जीवंत सशक्त और विकासशील भाषा है।

हिन्दी में काम करने के लिए शब्दों को सोचने की आवश्यकता नहीं है सरल व रोजमर्रा के शब्दों द्वारा आप अपनी बात जन मानस तक पहुंचा सकते हैं। हिन्दी वह धागा है जो विभिन्न मातृ भाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा।

आइए इस अवसर पर हम सब कार्यालय के कार्य और व्यवहार में हिन्दी प्रयोग बढ़ाकर अपने-अपने कर्त्तव्यों का पालन करें।

(डा.डा. आर.पी. दूबे)
मुख्य कार्यकारी निदेशक (प., ब. व अं.ज.)
एवं सदस्य, संपादन मण्डल
"वाप्कोस दर्पण"

दो शब्द

भारत जैसे विविधता वाले देश की राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का सबसे प्रभावी एवं शक्तिशाली माध्यम 'हिन्दी' है, क्योंकि यह पूरे देश में बोली व समझी जाने वाली भाषा है। हमें कार्यालय के दैनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना है। प्रशासनिक कार्य तो हिन्दी में किये ही जा रहे हैं, हमें तकनीकी कार्यों में भी हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। कार्यालय का अपना कार्य अपनी मातृभाषा हिन्दी में करके आपको आत्मिक खुशी तो मिलेगी ही, इसके साथ-साथ अपनी मातृभाषा के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाने की भी असीम खुशी मिलेगी।

वाप्कोस में 07 से 21 सितम्बर 2020 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसके अन्तर्गत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिसमें लगभग सभी प्रभागों के कार्मिकों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। हिन्दी में काम करने की भावना केवल हिन्दी पखवाड़े तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए अपितु पूरे वर्ष हिन्दी में कार्य करना चाहिए ताकि हम अपने दायित्वों को निभा सकें।

आइये, हम सब अपना सरकारी कामकाज यथासंभव हिन्दी में करते हुए राजभाषा के विकास में अपना सहयोग करें।

हिन्दी पखवाड़े के शुभ अवसर पर आपको मेरी शुभकामनाएं।

(अमिताभ त्रिपाठी)
वरि. कार्यकारी निदेशक (बांध व जलाशय)
एवं तकनीकी संपादक
"वाप्कोस दर्पण"

दो शब्द

हिन्दी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

"वाप्कोस दर्पण" का अंक 98 व 99 (संयुक्तांक) आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है। भाषा वहीं महत्वपूर्ण होती है, जो लोगों को तोड़ने के बजाय जोड़ने का संदेश दे और जिसके माध्यम से प्रेम का मार्ग प्रशस्त हो।

आजादी के बाद यह महसूस किया गया कि यदि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो इस सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सबसे उपयुक्त भाषा हिन्दी ही हो सकती है। इसलिए अनुच्छेद 343 में यह उल्लेख किया गया कि "भारत संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी"। राजभाषा का मतलब है- सरकारी कामकाज की भाषा, अर्थात् भारत सरकार के अधीन सभी कार्यालयों के कामकाज की भाषा हिन्दी है।

वाप्कोस में राजभाषा हिन्दी के सफल कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की राजभाषा नीति संबंधी प्रावधानों का समुचित अनुपालन किया जा रहा है। वाप्कोस में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 07 सितम्बर से 21 सितम्बर, 2020 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया, जिस दौरान कार्यालय के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें कार्मिकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

आइए हम संकल्प लें कि कार्यालय का सारा कार्य हिन्दी में करेंगे तथा हिन्दी को जन-जन की भाषा बनाएंगे।

आप सभी को हिन्दी दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

(प्रेम प्रकाश भारद्वाज)
प्रमुख (कार्मिक व रा.भा.का.)
एवं संपादक "वाप्कोस दर्पण"

राजभाषा गतिविधियां

- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का.) गुरुग्राम की वर्ष 2020-21 की प्रथम छमाही बैठक श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वाणिज्य व मा.सं.वि.) एवं अध्यक्ष, विराकास, वाप्कोस की अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2020 को कोविड-19 महामारी की वजह से जूम ऐप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई जिसमें नराकास, गुरुग्राम के सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख या उनके प्रतिनिधि तथा उनके साथ हिन्दी अधिकारी भी ऑनलाइन उपस्थित थे। बैठक में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1 (दिल्ली) के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री कुमार पाल शर्मा भी ऑनलाइन उपस्थित थे। सबसे पहले प्रमुख (कार्मिक व रा.भा.का.) द्वारा बैठक में ऑनलाइन उपस्थित सभी कार्यालय प्रमुखों/प्रतिनिधियों व राजभाषा अधिकारियों तथा उप निदेशक (कार्यान्वयन) का हार्दिक स्वागत किया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री प्रेम प्रकाश भारद्वाज, सदस्य सचिव, नराकास, गुरुग्राम एवं प्रमुख (कार्मिक व रा.भा.का.) द्वारा बैठक की विभिन्न मदों पर विधिवत् रूप से चर्चा की गई।

- वाप्कोस में अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक के मार्गदर्शन में 07.09.2020 से 21.09.2020 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता, चित्र अभिव्यक्ति प्रतियोगिता, राजभाषा नीति ज्ञान प्रतियोगिता तथा समूह "घ" कर्मचारियों के लिए श्रुतलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई जिनमें बड़ी संख्या में कार्मिकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

- हिन्दी पखवाड़े के अवसर पर वाप्कोस के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक की ओर से एक **"सन्देश"** भी जारी किया गया।

- दिनांक 14.09.2020 को वाप्कोस में जूम ऐप पर हिन्दी कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इस हिंदी कार्यशाला में जल शक्ति मंत्रालय से श्री अशोक कौशिक, अवर सचिव (प्रशा.) ने रोजमर्रा में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के बारे में कार्मिकों को बताया तथा सेवानिवृत्त श्रीमती वीना सत्यवादी, सहायक निदेशक द्वारा राजभाषा नियम/अधिनियमों की जानकारी एवं राजभाषा कार्यान्वयन के रूप में हिन्दी की संवैधानिक स्थिति के बारे में बताया। कार्यशाला में 26 कार्मिकों ने भाग लिया।

- दिनांक 30.09.2020 को श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वा.व मा.सं.वि.) एवं अध्यक्ष, विराकास की अध्यक्षता में वाप्कोस की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई।

- राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी स्थिति का जायजा लेने हेतु प्रबन्धक (रा.भा.का.) द्वारा दिनांक 25.09.2020 को डिस्पेच कक्ष तथा दिनांक 29.09.2020 को वाप्कोस के पत्तन, बन्दरगाह एवं अन्तरदेशीय जलमार्ग प्रभाग के राजभाषाई निरीक्षण किये गए।

- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का.) गुरुग्राम की वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही बैठक श्रीमती देवश्री मुखर्जी, अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, वाप्कोस एवं अध्यक्ष, नराकास, गुरुग्राम की अध्यक्षता में दिनांक 09.12.2020 को कोविड-19 महामारी की वजह से माइक्रोसाफ्ट टीम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई जिसमें नराकास, गुरुग्राम के सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख या उनके प्रतिनिधि तथा उनके साथ हिन्दी अधिकारी भी ऑनलाइन उपस्थित थे। बैठक में श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वाणिज्य व मा.सं.वि.) एवं अध्यक्ष, विराकास, वाप्कोस तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1 (दिल्ली) के सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा भी ऑनलाइन उपस्थित थे। सबसे पहले प्रमुख (कार्मिक व रा.भा.का.) द्वारा बैठक में ऑनलाइन उपस्थित सभी कार्यालय प्रमुखों/प्रतिनिधियों व राजभाषा अधिकारियों तथा सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) का हार्दिक स्वागत किया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री प्रेम प्रकाश भारद्वाज, सदस्य सचिव, नराकास, गुरुग्राम एवं प्रमुख (कार्मिक व रा.भा.का.) द्वारा बैठक की विभिन्न मदों पर विधिवत् रूप से चर्चा की गई।

- दिनांक 10.12.2020 को वाप्कोस में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस हिन्दी कार्यशाला में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1 (दिल्ली) के श्री कुमार पाल शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) द्वारा राजभाषा नियम/अधिनियमों की जानकारी एवं राजभाषा कार्यान्वयन के रूप में हिन्दी की संवैधानिक स्थिति के बारे में बताया। कार्यशाला में 26 कार्मिकों ने भाग लिया।

- दिनांक 18.12.2020 को श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वा.व मा.सं.वि.) एवं अध्यक्ष, विराकास की अध्यक्षता में वाप्कोस की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक माइक्रोसाफ्ट टीम पर ऑनलाइन आयोजित की गई।

- संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा दिनांक 07.11.2020 को वाप्कोस गुरुग्राम सहित पांच कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति, कटवारिया सराय, नई दिल्ली में किया गया था। इस निरीक्षण का समन्वय कार्य वाप्कोस को सौंपा गया था जिसकी माननीय समिति सदस्यों द्वारा प्रशंसा भी की गई।

- संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा वाप्कोस सहित पांच कार्यालयों के साथ दिनांक 07.11.2020 को निरीक्षण किये जाने के संबंध में संबंधित कार्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 06.11.2020 को तीसरी समन्वय बैठक वाप्कोस के कैलाश बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें विचार-विमर्श कार्यक्रम से संबंधित समन्वय कार्यों के संबंध में अंतिम रूप देने के संबंध में आवश्यक चर्चा की गई।

- संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा वाप्कोस सहित पांच कार्यालयों के साथ दिनांक 07.11.2020 को निरीक्षण किये जाने के संबंध में संबंधित कार्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 08.10.2020 को श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वा.व मा.सं.वि.) एवं अध्यक्ष, विराकास, वाप्कोस की अध्यक्षता में पहली समन्वय बैठक वाप्कोस के कैलाश बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें विचार-विमर्श कार्यक्रम से संबंधित समन्वय कार्यों तथा प्रश्नावली भरने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

- संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा वाप्कोस सहित पांच कार्यालयों के साथ दिनांक 07.11.2020 को निरीक्षण किये जाने के संबंध में संबंधित कार्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 26.10.2020 को श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वा.व मा.सं.वि.) एवं अध्यक्ष, विराकास, वाप्कोस की अध्यक्षता में दूसरी समन्वय बैठक वाप्कोस के कैलाश बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें विचार-विमर्श कार्यक्रम से संबंधित समन्वय कार्यों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

(दलीप कुमार सेठी)
प्रबंधक (रा.भा.का.)

◆◆◆

कृष्ण का आह्वान

तू कृष्ण है तू गोपाल है, विराट रूप विकराल है
तू सुदामा का यार है, राधा का प्यार है।

तू कंस का काल है, महाभारत का सार है
धर्म का है रक्षक तू दुष्टों का ससंहारक है।

तू सबमे है सब तुझमे हैं, सब तेरा है तू सबका है
तू जीवन में है मरण में है तू सबके अन्त:करण में है।

हे कृष्ण, तेरी सृष्टि में पापी फिर कर रहे राज हैं
यहाँ पाप में तो पाप है और पुण्य में भी पाप है।

तू इस रूप में आ या उस रूप में आ,
नटखट नन्दलाल बन के आ या कल्कि अवतार लेके आ।

पाप पुण्य के इस द्वन्द को मिटाने
गीता का नया सार लिखने, तुझे आना ही होगा।

बस! बहुत हो गया अब
तुझे आना ही होगा, तुझे आना ही होगा
हे कृष्ण, तुझे आना ही होगा।

(सुश्री सुमन यादव)
कार्यालय प्रबंधक

वाप्कोस में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

- वाप्कोस में अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक के मार्गदर्शन में 07.09.2020 से 21.09.2020 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। कम्पनी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया गया कि वे अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करें ताकि भविष्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कम्पनी में अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। हिन्दी पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं:

  - हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता
  - चित्र अभिव्यक्ति प्रतियोगिता
  - राजभाषा नीति ज्ञान प्रतियोगिता
  - श्रुतलेख प्रतियोगिता (केवल समूह "घ" कर्मचारियों के लिए)

  उक्त प्रतियोगिताओं में काफी कार्मिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन अवसरों पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से भी अधिकारियों को मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया।

- हिन्दी पखवाड़े के दौरान उक्त प्रतियोगितओं के अलावा निम्नलिखित दो योजनाएं भी लागू की गईं:

  - विशेष अल्पकालिक राजभाषा नकद पुरस्कार योजना (टिप्पण/लेखन)
  - हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टंकण में कार्य करने की विशेष अल्पकालिक नकद पुरस्कार योजना।

- हिन्दी पखवाड़े के अवसर पर वाप्कोस के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक की ओर से एक **"सन्देश"** भी जारी किया गया।

(दलीप कुमार सेठी)
प्रबंधक (रा.भा.का.)

◆◆◆

हिन्दी वह धागा है, जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुन्दर हार का सृजन करेगा।

हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की झलकियां

हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की झलकियां

हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की झलकियां

हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की झलकियां

हिन्दी दिवस - 14 सितम्बर : 14 बातें

- राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। राष्ट्र के गौरव का यह तकाजा है कि उसकी अपनी एक राष्ट्रभाषा हो। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अपनी भाषा में ही अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है।
- भारत में अनेक उन्नत व समृद्ध भाषाएं हैं, किन्तु हिन्दी सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र में और सबसे अधिक लोगों द्वारा समझी जाने वाली भाषा है।
- हिन्दी केवल हिन्दी भाषियों की ही भाषा नहीं रही, वह तो अब भारतीय जनता के हृदय की वाणी बन गई है।
- सर्वोच्च सत्ता प्राप्त भारतीय संसद ने देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को राजभाषा के पद पर आसीन किया है। अब यह अखिल भारत की जनता का निर्णय है।
- संसार में चीनी तथा अंग्रेजी के बाद हिन्दी सबसे विशाल जनसमूह की भाषा है।
- प्रान्तों में प्रान्तीय भाषाएं जनता तथा सरकारी कार्य का माध्यम होंगी, लेकिन केन्द्रीय और अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार में राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही कार्य होना आवश्यक है।
- प्रादेशिक भाषाएं तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी दोनों एक-दूसरे की पूरक हैं। एक-दूसरे के सहयोग से वे अधिक समृद्ध होंगी।
- प्रादेशिक हिन्दी और राष्ट्रीय हिन्दी जैसी कोई चीज़ नहीं। जिसे आज हिन्दी कहते हैं, वही राष्ट्रभाषा है और उत्तरोत्तर विकास करके समृद्ध एवं गौरवशील बनेगी।
- प्रत्येक मनुष्य दो आंखों से देखता है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र के निवासी को भी दो आँखें चाहिये। ये दो आंखें है- 1) अपने प्रान्त की भाषा, 2) सारे देश के लिए परस्पर व्यवहार की भाषा।
- हिन्दी का प्रचार करना राष्ट्रीयता का प्रचार करना है। हिन्दी किसी पर न तो जबरदस्ती लादी जा रही है और न लादी जाएगी। वह तो प्रेम का प्रतीक है।
- कोई भी शब्द चाहे वह किसी भी भाषा का क्यों न हो, यदि वह जनता में प्रचलित है, तो वह राष्ट्रभाषा हिन्दी का शब्द है। आगे भी हिन्दी विभिन्न भाषाओं से शब्द-राशि लेकर समृद्ध बनेगी।
- राष्ट्र की एकता के लिए जैसे एक राष्ट्रभाषा होना आवश्यक है, उसी प्रकार एक लिपि का होना भी आवश्यक है। नागरी लिपि में वे सभी गुण मौजूद हैं, जो किसी वैज्ञानिक लिपि में होने चाहिएं। अत: समस्त प्रादेशिक भाषाओं की एक नागरी लिपि हो, वह आवश्यक है।

- अंग्रेजी को बनाए रखना शान और इज्जत के खिलाफ है। वह हमारे देश में रहने वालों के बीच एक दीवार है। इस देश में केवल अंग्रेजी जानने वालों का राज नहीं रह सकता।
- कौन कहता है कि दक्षिण में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। वहां अंग्रेजी जानने वालों से पाँच गुनी संख्या हिन्दी जानने तथा समझने वालों की है।

'हिन्दी दिवस' के दिन प्रतिज्ञा करें कि हम राष्ट्रभाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि का प्रचार कर राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करेंगे।

◆◆◆

स्मार्ट लोगों से ही बनता है कोई भी शहर समार्ट

साभार: नेक बनें, श्रेष्ठ बनें

वह स्कूल ड्राप आउट था। 8वीं कक्षा के बाद स्कूल नहीं गया, इसलिए हैनरी सिंगापुर में टैक्सी ड्राइवर बन गया। करीब 20 साल पहले लेखक ने और जाने-माने कॉरपोरेट ट्रेनर शिव खेडा वहां पहुंचे। उन्होंने हैनरी को बिजनेस कार्ड दिया और उस कार्ड पर लिखे पते पर ले चलने को कहा। ड्राइवर ने मंजिल पर पहुंचने से पहले इमारत का चक्कर लगाया। मीटर में 11 डॉलर हो गए थे, लेकिन उसने 10 डॉलर ही लिए। जब कारण पूछा कि कम पैसे क्यों ले रहा है, तो उसने जो कारण बताया उससे खेडा स्तब्ध रह गए। कैब ड्राइवर ने कहा, 'सर, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, मैं आपको सीधे गंतव्य तक ला सकता था, मुझे आखिरी स्पॉट के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने इमारत का पूरा चक्कर लगाया। अगर मैं सीधे आपको यहां ले आता तो मीटर में 10 डॉलर ही होता। मेरी नासमझी के लिए आप क्यों भुगतान करेंगे। फिर उसने कहा, वैधानिक रूप से मैं आपसे 11 डॉलर ही लेने का हकदार हूँ। सिंगापुर पर्यटन स्थल है और कई लोग यहां तीन-चार दिनों के लिए आते हैं। कस्टम और इमिग्रेशन से आगे बढ़ने के बाद उनका पहला अनुभव हमेशा टैक्सी ड्राइवर के साथ होता है और अगर वह अच्छा नहीं होगा तो उनके अगले तीन-चार दिन भी अच्छे नहीं होंगे। फिर उसने गर्व से दावा किया कि वह सिर्फ टैक्सी ड्राइवर ही नहीं है, इसके साथ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बिना सिंगापुर का राजदूत है। उसके व्यवहार में गर्व की झलक थी।

***जिन्दगी और समय, विश्व के दो सबसे बड़े अध्यापक हैं।
जिन्दगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है
जबकि समय हमें जिन्दगी की सही उपयोगिता बताता है।***

"आत्मनिर्भर भारत"

(हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त निबंध)

आज हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है। हम देशवासी सभी जानते हैं कि पूरा विश्व ही इस संकट की घड़ी से गुजर रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि इस स्थिति से कैसे हम आत्मनिर्भर बने। भारत देश की 130 करोड़ की आबादी को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। इस संकट की घड़ी में सारे देश में जो कोरोना की स्थिति बनी हुई है उससे हम कैसे बाहर आए और कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। पूरे विश्व में आज कोरोना कोविड-19 का संकट मंडरा रहा है जोकि पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैल चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत देश की 130 करोड़ की आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो अभियान चलाया है उसके अंतर्गत सभी देशवासियों को अपना योगदान देना अति आवश्यक है। तभी हमारा देश पूरे विश्व में एक शक्तिशाली और विकास की गति को बढ़ावा दे सकता है। इस अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 मई, 2020 को जो राहत योजना केन्द्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की है उसके द्वारा निम्न योजना चलाने के लिए जारी किया है। किसी भी देश को विकास की और अग्रसर करने के लिए मुख्यत: पांच (5) पहलुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है।

1. अर्थव्यवस्था (Economy)
2. आधारिक संरचना (Infrastructure)
3. प्रणाली (System)
4. जनसांख्यिकी (Demography)
5. मांग व पूर्ति (Demond & Supply)

एक देश को आत्मनिर्भर और विकास की ओर अग्रसर करने के लिए अति आवश्यक है आत्मनिर्भर भारत की नई अपडेट- भारत में चलते लॉकडाउन के अंतर्गत इस महामारी की स्थिति में केन्द्र सरकार के द्वारा उज्जवला योजना के तहत केन्द्र सरकार ने 6 करोड़ 28 हजार फ्री सिलेन्डर महिलाओं को दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पैट्रोलियम और इस्पात मंत्री ने इस योजना के तहत बातचीत भी की जिसके लाभार्थी महिलाओं को देश में भारतीय उत्पाद का ब्राण्ड एम्बेसडर बनाने के लिए भी प्रेरित किया। महिलाओं को इसके अंतर्गत 8432 करोड़ रुपये की राशि का वितरण भी सीधे उनके खाते में स्थानांतरित किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस बात पर भी अधिक जोर दिया कि अधिक से अधिक भारतीय वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और भारत के बने उत्पादों को ही प्रयोग किया जाए जिससे भारत एक आत्मनिर्भर देश बनने में सक्षम हो जाए। मेक इन इंडिया - मेक इन वर्ल्ड उत्पाद का स्रोत बन सके। इस

योजना में उज्जवला लाभार्थी के अंतर्गत इसे शामिल किया गया जो कि देश की अर्थव्यवस्था को सबल बनाने में सफल योगदान के रूप में कार्य कर रहा है। इसे काफी सराहा भी गया है। पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी ने इस योजना में अपना पूरा सहयोग दिया जिससे भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान मिल सके।

आत्मनिर्भर भारत संकल्पः भारत में जो स्थिति आज अर्थव्यवस्था को लेकर उत्पन्न हुई उससे उभरने के लिए देश के नागरिकों को जिन-जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उससे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने राहत पैकेज के अभियान द्वारा समस्याओं को समाप्त करने के लिए समय-समय पर घोषणा की है जो केन्द्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज द्वारा जो कि देश की जी.डी.पी. का 10 प्रतिशत है, की घोषणा की है जिससे देश में कोरोना महामारी के संकट में आए लोगों को राहत मिलेगी। इस संकट के समय में सबसे ज्यादा नुकसान छोटे उद्योगों, मध्यम वर्गीय उद्योगों, किसान, मोची, काश्तकार, रेहडी पटरी वाले और मजदूर वर्ग, प्रवासी मजदूर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए यह योजना जारी की गई है जिसके अंतर्गत प्रत्येक मजदूर को 10,000/- रू. के लोन के रूप में और 10,000/- रू. रेहडी पटरी वालों को देने की योजना बनाई है जिससे काफी लोगों को फायदा होगा।

आत्मनिर्भर योजना के लाभार्थी

लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम वर्गीय उद्योग, मजदूर, किसान, काश्तकार, प्रवासी मजदूर, गरीब नागारिकों को जो अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकेंगे और स्वयं उत्पादन का निर्माण बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।

आत्मनिर्भर भारत अभियान की नई अपडेटः हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यूएस इंडिया बिजनेस कान्फ्रेंस के वीडियो कान्फ्रेंस के अंतर्गत शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में पिछले छः वर्षो से सुधार किया है जिससे प्रतिस्पर्धात्मक पारदर्शिता, डिजीटलाईजेशन, इनोवेशन के रूप में निरंतर वृद्धि हुई है और यह भी कहा कि भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं में प्रतिवर्ष 22 प्रतिशत की वृद्धि की है और भारत अन्य लोगों को भी आमंत्रित करता है।

भारत ने नए-नए ऐप लांच किए जिससे भारत और अधिक विकास की ओर अग्रसर हो सके। भारत ने चाइना के 59 ऐप को बंद कर दिया और उसने ऐप को बनाने के लिए अपने देश के लोगों को प्रेरित किया जिसके अंतर्गत भारत में कई नए-नए ऐप विकसित किए गए।

भारत को आत्मनिर्भर बनाना आत्मबल से ही सम्भव है तभी हम अपनी संकल्प शक्ति को विकसित करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बन सकते हैं तभी विश्व स्तर पर भारत का नाम अग्रसर हो सकता है।

(अरूण कुमार जैन)
प्रबंधक (वित्त)

◆◆◆

"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"

(हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित चित्र अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त लेख

इस चित्र के माध्यम से हमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की अभिव्यक्ति लग रही है। किस तरह बेटियों को हम प्यार-दुलार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। महिलाओं को आगे बढ़कर किस तरह से हम एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। बेटियों के बिना संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। एक स्त्री ही लड़के या लड़की को जन्म देती है, अगर स्त्री ही नहीं होगी तो आगे हम संसार को बढ़ाने की नहीं सोच सकते। हमें बेटे और बेटियों को समान नजरों से देखना होगा क्योंकि हम अपनी संतान के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। हमारे धर्म में महिलाओं को पूजा जाता है। देवी की पूजा की जाती है और यह भी कहा जाता है कि जहां नारियों को सम्मान मिलता है देवता भी वहीं निवास करते हैं।

यद्दपि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की शुरूआत सरकार द्वारा की गई है ताकि लिंग अनुपात को कम किया जाए। कुछ सरकारें (राज्य) भी इस दिशा में अग्रसर हैं ताकि उनके राज्यों में लड़कों तथा लड़कियों का भेदभाव दूर किया जा सके। परन्तु जब तक हम स्वयं इस बात को नहीं मानते कि बेटियों का बचना, पढ़ना जरूरी है। लड़कियां आत्मनिर्भर तभी होंगी जब उन्हें शिक्षित किया जाएगा, तकनीकी ज्ञान और कौशल सिखाया जाएगा। इसके लिए माता-पिता, समाज और सरकार को जागरूक होना होगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन इसलिए किया गया है ताकि महिलाओं को हर प्रगतिशील दिशा में सशक्तिकरण किया जाए। बेटियों के जन्म लेने पर माता-पिता दुखी न हों, बेटियों को खुशी दें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें शिक्षित करें, ताकि समाज में उनकी बेटियां भी उनका नाम रोशन करें क्योंकि एक शिक्षित मां ही शिक्षित परिवार का निर्माण करेगी तथा शिक्षित परिवार एक शिक्षित समाज का निर्माण करेगा।

आज हम जिस आत्मनिर्भर समाज की बात करते हैं वो स्त्री-पुरूष दोनों पर टिका है। 24 जनवरी भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि हम बेटियों को भी वो समान दर्जा दे सकें जो हम बेटों को देते हैं। जितनी ज्यादा जागरूकता

सरकार और समाज द्वारा होगी उतना ही हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि बेटियां भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग हैं।

यद्दपि भारत सरकार ने काफी योजनाएं चलाई हैं ताकि गरीब परिवार के लोग पुत्री के जन्म होने पर दुखी न हों। उनको आर्थिक रूप से जो परेशानियां होती हैं उन्हें कम किया जा सके जैसे सुकन्या योजना जिसके द्वारा लड़की के पैदा होने पर उसके लिए एक समय सीमा में कुछ निर्धारित राशि दी जाती है।

भारत को विश्वगुरु कहा गया है और हम कह सकते हैं कि यह तभी संभव होगा :

जब बेटियों को पढ़ाएंगे, तभी विश्वगुरू बन पाएंगे।

(मोनिका जोशी)
कनि. सहायक (वित्त)

◆◆◆

आम आदमी

एक बार प्रसिद्ध विद्वान हजरत अबू बकर सिद्दिकी को मदीना का वजीर नियुक्त किया गया। नियुक्ति के बाद प्रश्न यह उठा कि इतने बड़े विद्वान की तनख्वाह कितनी हो। वहां के बादशाह भी कोई निर्णय नहीं ले सके। काफी देर माथापच्ची करने के बाद अंत में यह निर्णय हुआ कि उनसे पूछ कर ही उनका वेतन तय किया जाए। बादशाह स्वयं उनके पास गए और उनके सामने अपनी समस्या रखी। अबू बकर ने कहा, 'जहांपनाह' यह तो कोई समस्या है नहीं। मैं कोई जनता से अलग तो हूँ नहीं। बताइए, मदीना का एक औसत मजदूर महीने में कितना कमा लेता है?' बादशाह ने कहा, 'तकरीबन एक दीनार तो कमा ही लेता है' अमू बकर ने कहा, 'ठीक है, मेरी तनख्वाह एक दीनार रखी जाए।' बादशाह हैरत में पड़ गए। बोले, क्या कहा आपने? एक दीनार! इससे ज्यादा तो मेरा नौकर कमाता है। आपकी बराबरी एक नौकर से नहीं हो सकती।' अबू बकर ने कहा कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आपने मुझे मुल्क का वजीर इसलिए बनाया है कि मैं यहां की गरीब जनता के हित में काम करूं। देश को तरक्की पर ले जाऊं। लेकिन जब मुझे यहां के आवाम के दर्द का पता ही नहीं चलेगा तो मैं कैसे उनके हित की बात सोचूंगा। एक मजदूर के बराबर तनख्वाह लेने से मुझे इतना तो पता रहेगा कि यहां साधारण लोग किस हाल में रहते हैं। वे अपना गुजर-बसर किस तरह से करते हैं और उनकी भलाई कैसे हो सकती है। हमारी तनख्वाह ज्यादा होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि देश में क्या हो रहा है।' बादशाह ने फिर जोर दकर कहा कि 'यह नियम के खिलाफ होगा। आपकी तनख्वाह एक मजदूर के बराबर नहीं हो सकती।' अबू बकर ने मुस्कराकर कहा, फिक्र मत करिए। मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा कि यहां के मजदूरों की आमदनी जल्दी-जल्दी बढ़ती रहे। इससे मेरी तनख्वाह अपने आप बढ़ती जाएगी।' यह सुनकर बादशाह निरूत्तर हो गए। उन्होंने शाही खर्च में भारी कटौती कर दी।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा वाप्कोस गुरुग्राम कार्यालय का निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति लोकसभा के बीस एवं राज्यसभा के दस सदस्यों को मिलाकर गठित की जाती है। इस समिति को सुविधा की दृष्टि से तीन उप-समितियों में बांटा गया है। हमारा उपक्रम दूसरी उप समिति के अन्तर्गत आता है।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा दिनांक 07.11.2020 को वाप्कोस के गुरूग्राम कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समिति का नेतृत्व माननीय डॉ. श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, संयोजक महोदया द्वारा किया गया। निरीक्षण में संसदीय समिति की संयोजक महोदया के साथ माननीय सदस्य श्री सुशील गुप्ता, सदस्य (राज्य सभा), श्री मनोज तिवारी, सदस्य (लोक सभा), श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री प्रदीप टम्टा, संसद सदस्य (राज्य सभा) और श्री बालूभाऊ धानरोकर के अलावा समिति सचिवालय से श्री गोपी चंद्र छावनिया, सचिव (समिति), डॉ. आर.एल. मीना, अवर सचिव, श्री कमल स्वरूप, अनुसंधान अधिकारी, सुश्री गीता, समिति सहायक भी उपस्थित थे।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति के अभिनन्दन एवं परिचय की औपचारिकता के उपरांत श्रीमती देवश्री मुखर्जी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, वाप्कोस ने वाप्कोस द्वारा की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया, जिसकी माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा सराहना की गई। तत्पश्चात्, राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी स्थिति का

विवरण प्रश्नावली के रूप में उप समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। इस पर समिति के सभी माननीय सदस्यों ने वाप्कोस में राजभाषा कार्यान्वयन के सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

इस निरीक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:

वाप्कोस लिमिटेड

1. श्रीमती देवश्री मुखर्जी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2. श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वा.व मा.सं.वि.) एवं अध्यक्ष, विराकास
3. श्री पंकज कपूर, निदेशक (वित्त)
4. श्री दलीप कुमार सेठी, प्रबंधक (रा.भा.)
5. श्रीमती गीता शर्मा, उप प्रबंधक (हिन्दी)

जल शक्ति मंत्रालय

1. श्री आर. सतीश, आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी
2. श्री विजय सिंह मीना, निदेशक (रा.भा.)
3. श्री एम.सी. भारद्वाज, सलाहकार/पूर्व संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

वाप्कोस द्वारा प्रस्तुत की गई निरीक्षण प्रश्नावली के आधार पर समिति सदस्यों द्वारा वाप्कोस गुरुग्राम कार्यालय में हिन्दी में किये जा रहे कार्यों की सराहना की। इस निरीक्षण का समन्वय कार्य भी वाप्कोस लिमिटेड को सौंपा गया था जिसकी सराहना भी माननीय समिति सदस्यों द्वारा की गई।

अंत में श्रीमती देवश्री मुखर्जी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, वाप्कोस ने उप समिति के सभी माननीय सदस्यों को सम्मान पट्टिका भेंट की और राजभाषा के उत्तरोत्तर विकास हेतु सार्थक विचार-विमर्श के लिए धन्यवाद किया एवं दिये गए दिशानिर्देशों के अनुपालन का आश्वासन दिया।

◆◆◆

हिन्दी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि
चाहे किसी नेता, अभिनेता या व्यापारी को
हर भारतीय तक अपनी बात पहुंचानी होती है,
तो उसे हिन्दी का उपयोग करना ही पड़ता है।

हम सबका अभिमान है हिन्दी,
भारत देश की शान है हिन्दी
हिन्दी अपनाओ,
देश का मान बढ़ाओ।

राजभाषा हिन्दी के प्रभावी कार्यान्वयन में दस 'प्र' की भूमिका

राजभाषा अर्थात राज काज की भाषा, अर्थात सरकार द्वारा आम-जन के लिए किए जाने वाले कार्यों की भाषा। राजभाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। **वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि सभी केन्द्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।** तब से लेकर आज तक देश भर में स्थित केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों आदि में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन तथा सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की अहम् भूमिका रही है। राजभाषा विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

हम सभी जानते हैं कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को अंतिम स्वरूप दे रहे थे, इसका आकार बना रहे थे, उस वक्त कई सारी ऐसी चीजें थी जिसमें मत-मतांतर थे। देश की राजभाषा क्या हो? इसके विषय में इतिहास गवाह है कि तीन दिन तक इस संदर्भ में बहस चलती रही और देश के कोने-कोने का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा में जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया, दूरदर्शिता के साथ अवलोकन, चिंतन कर एक निर्णय पर पहुंचे तो पूरी संविधान सभा ने सर्वानुमत से 14 सितम्बर, 1949 के दिन हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया।

26 जनवरी, 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा 'हिन्दी' व लिपि 'देवनागरी' होगी।

अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से, और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिन्दी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी है।

महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां 'आप जिस प्रकार बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए' को ध्यान में रखते हुए राजभाषा-हिन्दी को और सरल, सहज और स्वाभाविक बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प है। केन्द्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिन्दी में काम करने को दिन-प्रति-दिन सुगम और सुबोध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए प्रभावी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका मूल सूत्र क्या होना चाहिए? इस पर विचार करने के दौरान मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले 'स्मृति - विज्ञान' (Mnemonics) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी नजर आती है। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए विभाग की रणनीति में 10 'प्र' के फ्रेमवर्क और रूपरेखा लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जो निम्न प्रकार से है।

प्रेरणा (Inspiration and Motivation)

प्रेरणा (Inspiration) का सीधा तात्पर्य पेट की अग्नि (Fire in the belly) को प्रज्ज्वलित करने जैसा होता है। हम सभी यह जानते हैं कि प्रेरणा में बड़ी शक्ति होती है और यह प्रेरणा सबसे पहले किसी भी चुनौती को खुद पर लागू कर दी जा सकती है। प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है लेकिन यदि संस्थान का शीर्ष अधिकारी किसी कार्य को करता है तो निश्चित रूप से अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

प्रोत्साहन (Encouragement)

मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय-समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर प्रोत्साहित करते रहने से उनका मनोबल ऊंचा होता है और उनके काम करने की शक्ति में बढ़ोत्तरी होती है।

प्रेम (Love and Affection)

वैसे तो प्रेम जीवन का मूल आधार है किन्तु कार्य क्षेत्र में अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रेम प्राप्त करना कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करता है। राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की रही है यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिन्दी के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा है।

प्राइज अर्थात पुरस्कार (Rewards)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/बैंकों/उपक्रमों आदि को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिए जाते हैं और राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/बैंकों/उपक्रमों आदि के सेवारत तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 14 सितम्बर, हिन्दी दिवस के दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि देश के कोने-कोने से इन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि आती है। जब मैंने राजभाषा विभाग का कार्यभार संभाला उस समय स्मृति आधारित अनुवाद टूल 'कंठस्थ' के अंदर डेटाबेस को मजबूत करने के लिए सचिव (रा.भा.) की ओर से प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय किया। इस कदम का यह परिणाम हुआ कि लगभग डेढ महीने के अंदर ही कंठस्थ का डाटा 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्राइज यानि पुरस्कार का महती योगदान होता है।

प्रशिक्षण (Training)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य करता है। पूरे वर्ष अलग-अलग आयोजनों में सैंकड़ों की संख्या में प्रशिक्षणार्थी इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण पाते हैं। कहते हैं- "आवश्यकता आविष्कार और नवीकरण की जननी है।" कोरोना महामारी ने हम सभी के सामने अप्रत्याशित संकट और चुनौती खड़ी कर दी। समय-समय पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर हम सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया। इससे प्रेरित होकर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आश्रय लेते हुए ई-प्रशिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम

से हमारे दो प्रशिक्षण संस्थान - केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत-स्थानीय के लिए मुखर हों (Be Local for Vocal) अभियान के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को NIC Video Desk Top पर माइग्रेट किया जा रहा है।

प्रयोग (Usage)

'यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं (If you do not use it, you lose it)' हम जाने हैं कि यदि किसी भाषा का प्रयोग कम किया जाए या न के बराबर किया जाए तो वह धीरे-धीरे मन मस्तिष्क के पटल से लुप्त होने लगती है इसलिए यह आवश्यक होता है कि भाषा के शब्दों का व्यापक प्रयोग समय-समय पर करते रहना चाहिए। हिन्दी का प्रयोग अपने अधिक से अधिक काम में मूल रूप से करें ताकि अनुवाद की बैसाखी से बचा जा सके और हिन्दी के शब्द भी प्रचलन में रहें।

प्रचार (Advocacv)

संविधान ने हमें राजभाषा के प्रचार का एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है जिसके अंतर्गत हमें हिन्दी में कार्य करके उसका अधिक से अधिक प्रचार सुनिश्चित करना है। वर्तमान में राजभाषा हिन्दी के प्रचार में हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश-विदेश के मंचों पर हिन्दी के प्रयोग से राजभाषा हिन्दी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई। संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी का पक्ष इसलिए प्रबल था क्योंकि इसका अंतरप्रांतीय प्रचार शताब्दियों पहले ही हो गया था। उसके इस प्रचार में किसी राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित तीर्थ स्थानों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का योगदान था। उनके द्वारा भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के साथ संपर्क करने का एक प्रमुख माध्यम भाषा हिन्दी थी जिससे स्वत: ही हिन्दी का प्रचार होता था। आधुनिक युग में प्रचार का तरीका भी बदला है। तकनीक के इस युग में संचार माध्यमों का बड़ा योगदान है इसलिए राजभाषा हिन्दी के प्रचार में भी इन माध्यमों का अधिकतम उपयोग समय की मांग है।

प्रसार (Transmission)

राजभाषा हिन्दी के काम का प्रसार करना सभी केन्द्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि की प्राथमिक जिम्मेदारी में है और यह संस्था प्रमुख का दायित्व है कि वह संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों जिसमें कि प्रचार-प्रसार भी शामिल हैं, का अधिक से अधिक निर्वहन करे। राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने और कार्यालय स्तर पर हिन्दी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिन्दी गृह पत्रिकाओं का विशेष महत्व है, इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न केन्द्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए ई-पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिन्दी गृह-पत्रिकाओं का प्रसार होगा और हिन्दी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होने वाली ई-पत्रिकाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। राजभाषा हिन्दी के प्रसार में दूरदर्शन, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ-साथ बॉलीवुड ने हिन्दी के प्रसार में अद्‌वितीय योगदान दिया है।

प्रबंधन (Administration and Management)

यह सर्वविदित है कि किसी भी संस्थान को उसका कुशल प्रबंधन नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है इसे ध्यान में रखते हुए संस्था प्रमुखों को राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशानिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच-बिंदु बनवाएं और उपाय करें।

प्रयास (Efforts)

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में यह अंतिम 'प्र' सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमें लगातार यह प्रयास करते रहना है कि राजभाषा हिन्दी का संवर्धन कैसे किया जाए। यहां कवि सोहन लाल द्विवेदी जी की पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं कि

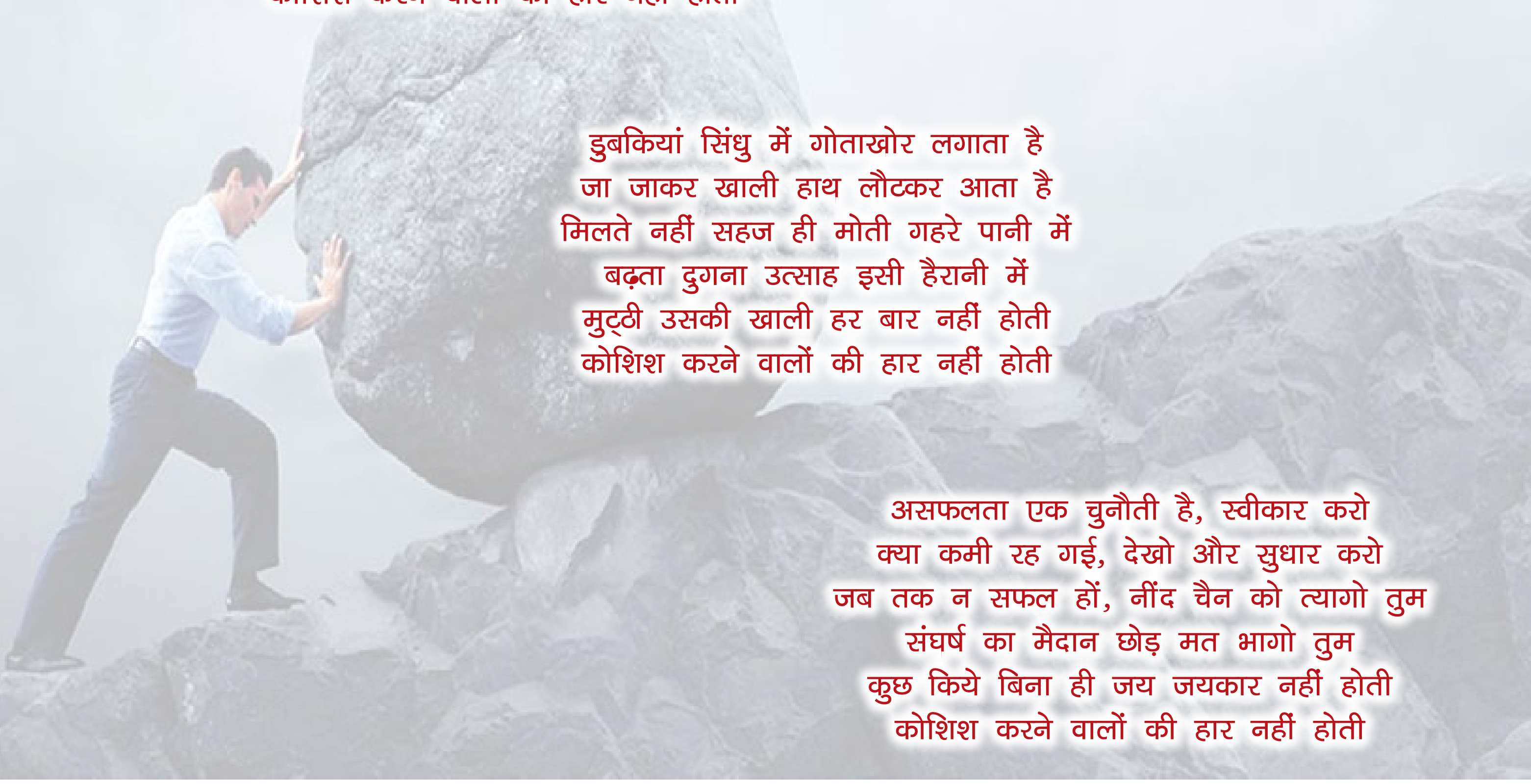

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है
जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो
जब तक न सफल हों, नींद चैन को त्यागो तुम
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही जय जयकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ करें। हम स्वयं मूल कार्य हिन्दी में करते हुए अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ निर्बाध रूप से उठा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन दस 'प्र' को ध्यान में रखकर राजभाषा हिन्दी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के सपने को साकार करने में सफल होंगे।

(डॉ. सुमीत जैरथ)
सचिव, राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

◆◆◆

सांसारिक दुविधा 2019

दुविधा में संसार ये सारा, क्या करेगा कोरोना हमारा।
आदत से भी तो हैं लाचार, घूमते हैं सब यहाँ वहां आवारा॥

खूब लगाई पाबंदियाँ और खूब किये सब लॉकडाउन।
फिर भी कम्बख्त से ना तो बचे गाँव गाँव, ना बचे मॉडल टाउन॥

खूब पिलाये घाँस फूस, और खूब बजाई थालियाँ।
कोरोना वारियर्स के लिए तो दिल से निकलती तालियाँ॥

लॉकडाउन से हरे हो उठे थे पत्ते और खिल उठी थीं डालियाँ।
थीं सुनसान गलियाँ, ना दिन में हलचल, ना रात मैं परछाइयाँ॥

पर क्या कुछ भी इनमें से आया काम अभी तक।
लाखों ने नौकरियाँ गवाई और करोड़ों को ना मिलते दाम अभी तक॥

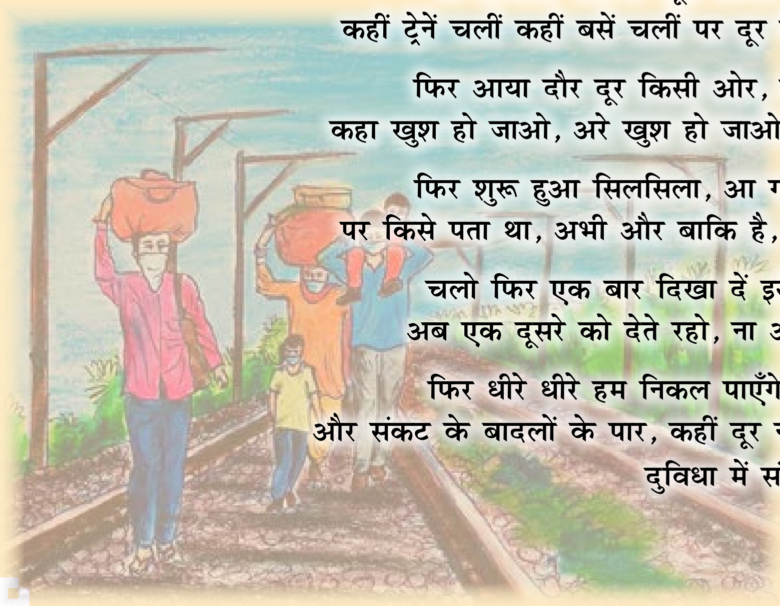

पर सियासी रोटियां खूब सिकी इस गरीब के कंधे नुमा चूल्हे पे।
कहीं ट्रेनें चलीं कहीं बसें चलीं पर दूर देश फसे लोगों के घर अभी भी सूने थे॥

फिर आया दौर दूर किसी ओर, एक किरण उम्मीद की दिखाई दी।
कहा खुश हो जाओ, अरे खुश हो जाओ, आ गयी दवा इस भयंकर महामारी की॥

फिर शुरू हुआ सिलसिला, आ गया जलजला, बहुतों को दवाई दी।
पर किसे पता था, अभी और बाकि है, इस मुए कोरोना ने फिर से अंगड़ाई ली॥

चलो फिर एक बार दिखा दें इसे, हम नहीं तुझसे डरते ओ यारा।
अब एक दूसरे को देते रहो, ना औपचारिक बल्कि मानसिक सहारा॥

फिर धीरे धीरे हम निकल पाएँगे इस कोरोना रूपी माया जाल से।
और संकट के बादलों के पार, कहीं दूर नजर आएगा, कामियाबी का झंडा लहराया॥
दुविधा में संसार ये सारा...

(दीपक प्रकाश)
अभियंता

शांता कुमारी

प्रथम बैंक मैनेजर

साभार: भारत की प्रथम महिलाएं

सन् 1965 के शुरू में राजधानी में जब पहले महिला-बैंक का उद्घाटन हुआ था, तब मैं उपस्थित थी। बैंक मैनेजर सुश्री पद्मजा कुलकर्णी ने बातचीत के दौरान बताया था कि सिंडिकेट बैंक लिमिटेड (मैसूर राज्य) ने ही सबसे पहले इस दिशा में कदम उठाया है और भारत में अब तक इस बैंक की चार महिला शाखाएँ खुल चुकी हैं। दिल्ली स्थित शाखा पांचवीं है। उन्होंने यह जानकारी भी दी थी कि सन् 1962 में जब इस बैंक की पहली शाखा खुली थी तब वह 'विश्व की पहली महिला बैंक शाखा' थी। उनके अनुसार, बाद में इंग्लैंड, चीन व पाकिस्तान में भी ऐसी शाखाएं खुलीं। अब तो लंदन में एक ऐसी बैंक शाखा भी खोली गई है, जो न केवल महिलाओं द्वारा संचालित है, बल्कि महिलाओं के लिए ही है।

तब महिला बचत योजना हमारे देश में अभी नई ही थी। कुछ समय पूर्व तक आभूषण और दहेज की वस्तुएं ही स्त्री धन मानी जाती थीं। यदि जेवरों के अलावा स्त्रियों के पास अपना कुछ रूपया होता भी तो उसे मटकों में भरकर घरों में गाड़ दिया जाता था। नहीं तो वह तिजोरियों में बंद पड़ा रहता था। यह गड़ा धन न देश के काम आता था, न ही उनके; क्योंकि किसी आसन्न संकट के अलावा स्त्री जेवर बेचना अप्रतिष्ठा की बात थी। नारी शिक्षा, जागृति और वैधानिक समानता से स्थिति बदली। काफी संख्या में स्त्रियां स्वतंत्र रूप से धन अर्जित करने लगीं तो उनकी निजी बचत भी बैंकों में पहुंचने लगी। फिर धीरे-धीरे परिवार व देश-हित में घरेलू स्त्रियों ने भी बचत के महत्व को समझा और वे भी अपने निजी खाते खोलने लगीं। सरकार द्वारा चालित घरेलू अल्प बचत योजना के प्रचार-प्रसार का भी असर पड़ा और बैंकों में अपना खाता खोलने वाली स्त्रियों की संख्या बढ़ चली। लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं तो बैंकिंग-पद्धति समझ सकती थीं। शेष क्या करें? उनके काम में सहायता पहुंचाकर उन्हें बचत के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्राय: सभी बड़े बैंकों में महिला कर्मचारी भी नियुक्त की जाने लगीं। महिला काउंटरों की व्यवस्था हो जाने से अपना बचत खाता खोलने वाली अनपढ़ और संकोची स्त्रियों के लिए भी सुविधा हो गई तथा स्त्रियों के लिए बैंकिंग का नया कार्यक्षेत्र भी खुल गया।

लेकिन काउंटर पर बैंक के किसी विभाग को संभालना और बात है, पूरे बैंक की जिम्मेदारी लेना और बात। इतना बड़ा हिसाब-किताब और इतना बड़ा दायित्व। निश्चय ही बैंक मैनेजर का पद किसी महिला को सौंपना एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था। इसलिए बैंकों में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति तो हुई, मैनेजर का पद उन्हें नहीं सौंपा गया। जब सिंडीकेट बैंक ने पहले-पहल प्रयोग के तौर पर 'विश्व की प्रथम महिला बैंक शाखा' खोलने का निश्चय किया और वह भी भारत जैसे विकासशील देश में, तो उससे सनसनी फैलना स्वाभाविक था। प्रयोग सफलीभूत हुआ। भारत में और विदेशों में भी इसके बाद अन्य महिला शाखाएं खुलने लगीं और उनके माध्यम से कई महिलाएं बैंक मैनेजर के भारी जिम्मेदारी वाले पदों पर आसीन हो गईं।

उन्हीं दिनों चूंकि मैं इस पुस्तक की योजना पर काम करते हुए सभी क्षेत्रों में पहल करने वाली महिलाओं पर शोध कर रही थी, मेरे मन में यह जिज्ञासा उठनी स्वाभाविक थी कि पहली महिला शाखा का चार्ज संभालने वाली 'भारत की पहली महिला बैंक मैनेजर' कौन है? मेरे आश्चर्य व आनंद का ठिकाना न रहा जब सुश्री पद्माजा कुलकर्णी ने अपने पास बैठी महिला की ओर इशारा कर दिया, "आप ही हैं शांता कुमारी जी, भारत की ही नहीं विश्व की पहली महिला बैंक मैनेजर। दिल्ली शाखा के उद्घाटन के सिलसिले में कल ही शेषाद्रिपुरम (बंगलौर) से यहाँ पधारी हैं। यहां की शाखा का काम चालू करवाकर लौट जाएंगी।" उस दिन तो उद्घाटन की भीड़-भाड़ में उनसे कुछ विशेष बातचीत नहीं हो सकी। बाद के संपर्क में मालम हुआ कि वह एक बहुत ही सुलझे हुए मस्तिष्क व संतुलित व्यक्तित्व वाली नारी हैं। तभी तो प्रयोगधर्मा जिम्मेदारी वाला पहला पद उन्हें सौंपा गया। प्रयोग सफल रहा और महिलाओं के लिए जिम्देारी के पदों की एक और नई राह खुल गई।

शांता कुमारी जी ने जब मैसूर विश्वविद्यालय के विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली, तब उन्हें स्वप्न में भी ध्यान न था कि वे बैंक में काम करेंगी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी उनकी आवश्यकता थी। पहले वे अध्यापिका बनी फिर क्लर्क, लेकिन भीतर से कचोट उठती रही कि वह इन कामों के लिए नहीं बनी हैं। उन्हें तो ऐसा क्षेत्र चाहिए, जहां कुछ करके दिखाने का अवसर मिले और वे अवसर की तलाश व प्रतीक्षा करने लगीं। इस तलाश में भी बैंक की ओर उनका ध्यान कभी नहीं गया था। उनके शब्दों में "इसके पूर्व मैंने चेक को कभी आँखों से भी नहीं देखा था– और दो वर्ष बाद ही मैं बैंक मैनेजर थी।"

बैंक की नौकरी उन्हें संयोगवश ही मिली। एक बड़े अधिकारी ने उनके सामने प्रस्ताव रखा और उन्हें पसंद आ गया। वे दूसरे कार्यालय की नौकरी छोड़ बैंक में आ गईं तब भी उन्हें इस बात का कतई आभास न था कि यह नौकरी उनके लिए तरक्की की नई राह खोलने वाली साबित होगी अथवा इसमें उन्हें अपने बुद्धि-कौशल के परीक्षण और निखार के अवसर प्राप्त होंगे। तब तक सिंडिकेट बैंक लिमिटेड के पास महिला बैंक शाखा की कोई योजना भी न थी। एक साधारण बैंक कर्मचारी के नाते ही उनका कार्य शुरू हुआ; पर शीघ्र ही अधिकारी उनकी प्रतिभा का लोहा मान गए। सन् 1960 में उन्होंने कार्य प्रारम्भ किया। पहले बैंकिंग के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण चला, फिर सिंडिकेट बैंक की विभिन्न शाखाओं में कार्यानुभव द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण और फिर नियुक्ति के दो वर्ष बाद उन्हें बैंक मैनेजर बनने का सुअवसर प्राप्त हो गया।

उन्हीं दिनों, यानी सन् 1962 में सिंडिकेट बैंक ने प्रयोग के तौर पर पूर्णतया महिला स्टाफ द्वारा संचालित एक महिला शाखा खोलने का निश्चय किया था। सोचा गया कि इससे उन महिलाओं को भी अपने बचत खाते खोलने की प्रेरणा मिलेगी, जो किसी कारण या संकोचवश स्वयं बैंक नहीं जातीं। शेषाद्रिपुरम (बंगलौर) में विश्व के इस प्रथम महिला बैंक की स्थापना के साथ ही यह प्रयोग प्रारम्भ हुआ, जो आगे चलकर पर्याप्त सफल रहा। देश में एक सर्वथा नई चीज़ हो तो मनोविज्ञान की दृष्टि से लोगों के गले वह शीघ्र नहीं उतरती। चर्चाएं और उत्तेजना, कड़ा परिश्रम और कठिनाइयां, कच्चा अनुभव और बड़ी जिम्मेदारी। पर मैनेजर शांता कुमारी अपनी परीक्षा में सफल रहीं। महिला बैंक शाखा न केवल चल निकली, उसका खुलकर स्वागत हुआ, जिससे प्रेरणा पाकर देश में अन्य महिला शाखाएं भी खुलने लगीं।

अगले तीन वर्षों में शांता जी ने साथ-साथ सी.ए.आई.बी. नामक बैंकिंग की परीक्षा भी पास कर ली। जैसे-जैसे उन्हें अपने काम में सफलता मिलती गई, उन्हें लगने लगा कि तलाश व्यर्थ नहीं गई। यही उनकी पसंद का क्षेत्र है, जिसमें

बुद्धि व प्रतिभा को मांजने का पर्याप्त अवसर है। और फिर यह पसंद विकसित होती गई। एक प्रशासकीय जिम्मेदारी ही संभवतः उनकी वास्तविक पसंद थी। उनके अनुसार, "यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें जन मनोविज्ञान के आधार पर जन-संपर्क द्वारा ही सफलता हासिल की जा सकती है। संपर्क भी किसी विशेष वर्ग से नहीं, गरीब और अमीर, विनम्र और उद्दंड, संतुष्ट और असंतुष्ट सभी लोगों से, जिनकी विविधता की सूची लंबी है।"

महिला बैंक के अपने अनुभव सुनाते हुए उन्होंने कहा, "शुरू-शुरू में तो यह बात लोगों को बड़ी अजीब लगी। स्त्रियों को बैंक की राह दिखाने के लिए हमें बड़े धैर्य, परिश्रम और सूझ-बूझ से काम लेना पड़ा। पर जब कार्यशील महिलाओं के साथ घरेलू महिलाएं और अनपढ़ नौकरानियाँ, मजदूरनियां, सब्जी-भाजी बेचने वालियां, सड़क पर मिट्टी-पत्थर जोड़ने वाली तक अपनी छोटी-छोटी बचतें बैंक में रखने के लिए आने लगीं तो हमारा मन प्रसन्नता व संतोष से भर उठा। उनकी सुविधा के लिए हमने सर्वथा दो नई योजनायें चालू की– एक, चार आने तक भी जमा के लिए स्वीकार करना; दूसरे अपना चपरासी भेजकर घरों से भी हर माह इन छोटी बचतों को एकत्रित करना, जो काफी लोकप्रिय हुईं।"

"सभी कांउटरों पर तथा ऑफिस में महिला स्टाफ को देखकर आने वाली स्त्रियों का चेहरा गर्व व संतोष से चमक उठता। यही हमारी सफलता थी। पर मैं जब भोली-भाली अनपढ़ स्त्रियों को अपने हाथ की पास बुक को कुबेर के खजाने की तरह संभाले देखती और उनकी आंखों में एक बार गर्व-मिश्रित संतोष और दूसरी बार बैंकिंग कार्य-प्रणाली को समझ न पाने का निरीह भाव क्षण-क्षण बदलते देखती तो मेरी आंखों के आगे भारत का समूचा अतीत एक बार घूम जाता। उनकी खुशी और चिंता में शामिल हो उनकी कठिनाईयां दूर करने में जो सुख मिलता तो अपनी सारी कठिनाइयां भूल जाती।" इसमें शक नहीं कि मेरे मार्ग में कठिनाईयां, बाधाएं थीं, विशेषतया पुराने विचार के व्यापारी वर्ग की ओर से, जिनका सहयोग हमें देर से मिला; पर यह याद नहीं पड़ता कि एक महिला के नाते बैंकिंग पद्धति में या वित्तीय व्यवस्था में कोई बड़ी भूल मुझसे हुई हो। यह लोगों का निरा भ्रम था कि मैनेजर की वित्तीय लेन-देन संबंधी भारी जिम्मेदारी किसी स्त्री को नहीं सौंपी जा सकती। इसी भ्रमपूर्ण धारणा के कारण प्रारम्भ में थोड़ी सी घबराहट जरूर हुई थी, पर उत्तरोत्तर सफलता से वह शीर्घ ही दूर हो गई और अब तो मैं एक खासी अनुभवी मैनेजर हूँ। मेरी अन्य बहनें भी अब विभिन्न महिला शाखाओं का अकेले चार्ज संभाल रही हैं। कहीं, किसी भी शाखा पर ऐसी कोई कठिनाई सामने नहीं आई, जिसमें स्त्रियों को इस पद के अयोग्य ठहराया जा सकता। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में अधिक संख्या में स्त्रियों को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकेगी।"

सुश्री शांता कुमारी एक व्यस्त प्रशासकीय अधिकारी होने के बावजूद अपने खाली समय में खूब पढ़ती थीं। उनके अनुसार, "पढ़ने की तो मुझे इतनी धुन है कि सामने पड़ जाने वाला सभी तरह का साहित्य में पढ़ जाती हूँ। मेरी रूचि के विषय सीमित नहीं है। मनोरंजन मात्र भी ध्येय नहीं है। अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए व्यक्ति को सभी कुछ पढ़ना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ।" बैंकिंग कैरियर में जिम्मेदारी का पद लेने की इच्छुक युवतियों के लिए उनका सन्देश था कि पहले स्वयं को परखें, तौलें, फिर इस क्षेत्र में आएं। यह कार्यक्षेत्र उनसे जन-संपर्क योग्यता की मांग करता है।

कुछ वर्ष तक सिंडिकेट बैंक की करोल बाग, नई दिल्ली स्थित महिला शाखा की मैनेजर के पद पर काम करने के बाद शांता कुमारी जी हैदराबाद में कार्यरत थीं।

◆◆◆

दूध की लालसा

बाणगंगा नदी पूरे उफान पर थी। उसके दोनों किनारों पर दूर-दूर तक अथाह जल राशि दिखाई दे रही थी। सावन-भादों के महीने में हर साल यह अपने पूरे यौवन पर होती है। आसपास के खेत ज्वार और बाजरा की फसलों से लहलहा रहे थे। पास में ही रामकिशन और उसकी पत्नी जलबाई अपने खेत में काम करने में व्यस्त थे। वे पास के ही गांव दयालपुरा के गरीब किसान थे। उनके हिस्से में एक खेत था जो उन्हें पैत्रिक सम्पत्ति के रूप में मिला था। दोनों हर साल जी तोड़ मेहनत करते परन्तु अभाव और गरीबी में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। रामकिशन निहायत सीधा और मेहनतकश आदमी था। उसकी पत्नी भी उसके कंधे से कंधा मिलाकर काम करने में कतई कम ना थी। पति के साथ दिन रात काम में खटती परन्तु कभी कोई शिकवा-शिकायत नहीं। जैसे हालात थे उनमें वो दोनों खुश थे। समय का चक्र अपनी अविरल गति से चलता रहा। एक के बाद एक जलबाई ने तीन सन्तानों को जन्म दिया, जिनमें दो बेटे और एक बेटी थी। घर का खर्च भी बढ़ गया सो वे अपने खेतों में काम के अलावा दूसरे के यहां मजदूरी भी कर लेते थे।

एक बार रामकिशन अचानक ऐसा बीमार पड़ा कि फिर उठा ही नहीं। लम्बी बीमारी और दवाओं के अभाव में वो परलोक सिधार गया। जलबाई पर तो दुख का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। बेचारी जलबाई चीखती हुई रामकिशन की लाश पर बेहोश हो गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी चूडियां तोड़ दी और कब उसकी मांग का सिन्दूर पोंछ दिया गया। उस समय बड़ा बेटा रमेश सात वर्ष का, छोटा धरमू चार और बेटी रामबाई तीन साल की थी।

सारे रिश्तेदार और पडौसियों ने दो-तीन दिन जलबाई को समझाया कि आगे इन बच्चों के बारे में सोचे। उसकी उम्र इन्ही के पालन पोषण के लिये बची है। जलबाई ने भी छाती पर पत्थर रखकर अपने बच्चों के पालन-पोषण में लग गई। वो दिन भर अकेली मेहनत मजदूरी करके बच्चों को जैसे तैसे पाल रही थी। तीज- त्यौहार तो जैसे उसके लिये बने ही नहीं थे। दो वक्त खाने का ही पूरा नहीं पड़ रहा था तो वार त्यौहार का तो उसके जीवन में कोई अर्थ ही नहीं था। जलबाई ने त्यौहार के समय तो घर से निकलना ही बंद कर दिया था। वह चुपचाप एक कोने में अपने तीनों बच्चों को छाती से चिपकाए रोती रहती। अपनी व्यथा कहे भी तो किससे? ना कोई रिश्तेदार साथ देने को तैयार था और ना ही उसके पास कोई सन्चित पूंजी थी। एक बार उसने मरने की भी ठानी थी। पास ही बाणगंगा के किनारे पहुंच भी गई, परन्तु दूसरे ही पल तीनों बच्चों की बेड़ी ने उसके कदम बलात वहीं रोक दिए। जलबाई सिसक उठी, वह उल्टे पांव गांव की ओर भागी और तीनों बच्चों से आ लिपटी।

सर्दियों की गुलाबी धूप का आनंद लेने आस पडोस के बच्चे रमेश के घर के बगल में बैठे हुए थे। अक्सर गांव के बच्चे सुबह-सुबह इन दिनों में बाजरे की रोटी पर ढेर सारा लोनी घी और गुड़ रखकर धूप में आकर उसका आनंद लेते रहते थे। रमेश उन्हें टुकर-टुकर देखता रहता। कई बार उसने मां से भी गुड़ मांगा परन्तु सब व्यर्थ।

एक रोज रमेश खेलते-खेलते दलित बस्ती में पहुंच गया। वहां उसकी उम्र के कई बच्चे खेल रहे थे। वो भी उनके साथ खेलने लग गया। खेल-खेल में मगन नाम के एक दलित बच्चे से उसकी गहरी दोस्ती हो गई। मगन उसे अपने घर ले गया और पूछा "रमेश गुड़ रोटी खाओगे?" रमेश ने तुरंत हां कर दी। मगन ने छींके से रोटी निकाली और हन्डिया से गुड़ के दो डले निकाले और दोनों खाने में मशगूल हो गये। रमेश को उनमें जैसा स्वाद आ रहा था वैसा स्वाद उसने अब तक की जिंदगी में कभी चखा नहीं था। ये तथाकथित ऊंची जाति के लोग गांव में आज भी दलितो के साथ खाना तो दूर, उन्हें अपन पास भी नहीं बैठने देते। वाकई बच्चों में ईश्वर का वास होता है। उनके लिये सभी एक समान है। उनके निर्विकार मन में ना तो ऊंच-नीच जैसी खोखली दुर्भावना होती है और ना ही छूआछूत जैसा घृणित शब्द। खेलकर जब सायंकाल रमेश घर आया तो जलबाई ने उससे पूछा-"क्यों रे, आज दिनभर कहां था? सुबह से तूने खाना भी नहीं खाया।"

"मां आज में गांव के पिछवाड़े
जो घर हैं वहां खेलने चला गया था।
वहां मगन नाम का एक मेरा दोस्त
भी बन गया, उसी ने मुझे
जी भर के गुड़ -रोटी खिलाई।

"मां आज में गांव के पिछवाड़े जो घर हैं वहां खेलने चला गया था। वहां मगन नाम का एक मेरा दोस्त भी बन गया, उसी ने मुझे जी भर के गुड़ -रोटी खिलाई। "रमेश ने निश्छल भाव से कहा।

"नासपीटे, तू हमें जाति से बाहर करवाएगा। तुझे वहां किसी ने देखा तो नहीं था। आज तूने मेरी नाक कटवा दी।" कहते कहते जलबाई उसे बेतहाशा पीटे जा रही थी। उसे इतना मारा कि रमेश बेहोश हो खाट पर गिर गया। रमेश की यह हालत देख जलबाई पिघल गई। उसने रमेश के मुंह पर पानी के छींटे मारे। रमेश ने धीरे-धीरे आंखें खोल दी और कहने लगा- "मां आज के बाद में वहां नहीं जाऊंगा, ना ही तुझसे कभी गुड़ रोटी मांगूगा।"

सुनते ही जलबाई ने रमेश को छाती से चिपका लिया और फफक-फफक कर रो पड़ी। अब उसे रमेश के कृत्य से अधिक अपनी गरीबी पर गुस्सा आ रहा था। गरीब आदमी दूसरों के बजाय अपने आप पर अधिक गुस्सा करता है। जलबाई ने कमर से अपनी लूगड़ी का पल्लू निकाला, उसकी गांठ में दो रुपये रखे थे। जो उसे कल ही दिन भर की मजदूरी की एवज में मिले थे। जलबाई ने वो दो रुपये इसीलिये बचा कर रखे थे कि उसको अपने पति का श्राद्ध करना था। जलबाई ने मन मसोस कर सोच लिया कि जब जीवित व्यक्ति ही भूख के कारण कुमार्ग पर जाने को आमादा हो जाए तो मरे हुए की कौन परवाह करता है। मुझे कोई श्राद्ध नहीं करना। अपने जीवित बच्चों का पेट पहले है। जलबाई सीधी बनिए की दुकान पर गई। उसने दो रुपये का सेर भर गुड़ खरीद लिया और घर आकर बाजरे का ढेर सारा मलीदा बनाया। शाम को जब बच्चों ने भरपेट मलीदा खाया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। रमेश की दिनभर की पिटाई का दर्द मलीदे के स्वाद में ना जाने कहां खो गया उसे पता ही नहीं चला। अब वह खुश था। जलबाई तीनों बच्चों को निहार रही थी। आज वे इतने खुश थे मानो उन्हें तीनों लोको का राज्य मिल गया हो।

एक दिन जलबाई का भाई फत्तू अचानक आ गया। दोनों भाई बहन जी भर गले मिले। फत्तू ने कहा कि जीजी अब तू भूआ बन गई है। मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है सो तुम्हें लेने आया हूं। वहां छोछक की रस्म करनी है। जलबाई बहुत खुश हुई और अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पीहर चली गई।

सात आठ दिन जब पीहर में रहकर जलबाई वापिस आने लगी तो फत्तू ने कहा- "जीजी मेरे पास यह झोटी (बिन ब्याही नई भैंस) है, इसे तुझे बिदा में देता हूं। बच्चे भी इतने कमजोर हो रहे हैं, इन्हें भी दो वक्त दूध-दही मिल जायेगा। यह थोड़े ही दिनों में हरी होने वाली है।" जलबाई के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तीनों बच्चों को भी फत्तु ने नए कपड़े दिए। बच्चे इन्हें देख-देख कर आनंदित हो रहे थे। जलबाई भैंस को लेकर वहां से चल दी। रास्ते में भैंस को देख-देख कर बच्चे खुशी से चहक रहे थे। रमेश ने कहा- "मां अब इसको चराने की जिम्मेदारी मेरी है।" इतना सुनकर दोनों बच्चे रूठने लगे। नहीं हम चरायेंगे इसे और रोज-रोज खूब दूध घी खाएंगे। जलबाई ने कहा- "तुम तीनों ही खूब चराना इसे तभी तो तुम्हें यह ढेर सारा दूध देगी।" सुनकर बच्चे आने वाले कल की दुनियां के रंगीन सपने बुनने लगे। रमेश ने कहा - "मां देखो इसकी आंखें कितनी सुंदर है। आज से इसका नाम कन्जी है।"

"ठीक है जो तुम्हारे मन में आये रखलो, लेकिन दूध-घी उसे ही ज्यादा मिलेगा जो इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखेगा।" खुशी के उद्वेग और भावी सपनों के अतिरेक में पता ही नहीं चला बातों ही बातों में कब गांव आ गया। रमेश ने घर के आगे वाले नीम के पेड़ के नीचे जगह साफ कर एक खूंटा गाड़ा और कन्जी का निवास स्थान तैयार कर दिया। जलबाई कुएं से पानी भर लाई और परात में डालकर कन्जी को पानी पिलाया गया। धरमू कहां पीछे रहने वाला था उसने कन्जी की पूंछ में फंसे जंगली कांटो को पलक झपकते ही निकाल फेंका। यह सब देखकर रामबाई रूठ गई और कहने लगी मुझे कोई कुछ करने ही नहीं दे रहा। सुनकर जलबाई ने कहा जा तू घर में से थोड़ा आटा ले आ, इसको सानी करनी है। रामबाई कटोरे में आटा भर लाई। कन्जी टुकुर-टुकुर तीनों बच्चों को देख रही थी। अब तो आये दिन तीनों बच्चों में यही होड़ लगी रहती कि कौन ज्यादा सेवा करता है। कन्जी भी उनसे बहुत घुल-मिल गई थी। जब भी वो उसके पास आते, कन्जी उन्हें जीभ से चाटने लग जाती।

दो तीन महीने का समय बीत गया। एक दिन जलबाई खेतों पर काम करने गई थी। घर पर तीनों बच्चे थे जो कन्जी की सेवा-सुश्रूषा में लगे थे। रमेश ने सानी कर दी और धरमू खेतों से हरी-हरी घास बीन कर उसके आगे ड़ाल रहा था। परन्तु आज ना जाने क्यों कन्जी कुछ भी नहीं खा रही थी। अचानक वो जोर-जोर से रंभाने लगी। खड़ी होकर बार-बार बेचेनी से खूंटे के चक्कर लगाने लगी। बार-बार पेशाब किये जा रही थी। तीनों बच्चे यह देखकर घबरा गये। रमेश तुरंत भागकर खेत पर अपनी मां के पास पहुंचा और उसने सारी बात अपनी मां को बताई। जलबाई दौड़ी-दौड़ी घर आई और उसे यह समझते देर ना लगी कि कन्जी उठान पर है। तीनों बच्चों को घर पर ही छोड़कर पास के गांव में कन्जी को हरी करवा लाई। कन्जी को लाकर खूंटे से बांध दिया। अब वो शान्त खड़ी थी। रमेश ने आते ही मां से पूछा- "मां कन्जी को क्या हो गया था?" सुनकर जलबाई ने कहा - "बेटा तुम्हारी कन्जी के पेट में अब एक नन्हा सा बच्चा आ गया है वो आठ नौ महीने बाद बाहर आ जायेगा फिर कन्जी दूध देना शुरू कर देगी।" ये सुनकर तीनों बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो वे दुगने मनोवेग से कन्जी की सेवा में लग गये। ऐसा कोई दिन नहीं था जब तीनों बच्चों में कन्जी के दूध-दही की बात पर झगड़ा न हुआ हो। सबसे ज्यादा रामबाई रुठती थी। वो हमेशा

यही कहती – "मैं तो सुबह जल्दी उठा करुंगी और जब माँ दही बिलोयगी तो वहीं बैठकर लोनी घी का बड़ा-सा ड़ला लेकर रोटी के साथ जी भरकर खाया करुंगी।" इतनी बात सुनकर रमेश उसे चिढ़ाने की नियत से कहता – "मैं तो शाम को ही सारा दूध पी जाया करूंगा फिर तू सुबह घी कहां से खायेगी।" इतना सुनते ही रामबाई जोर-जोर से रोने लगती और मां से शिकायत करती। समझाते हुए मां कहती कि कन्जी इतना सारा दूध दही देगी की तुम सबके खाने के बाद भी ढेर सारा घी बचेगा और छाछ भी बचेगी। तब जाकर रामबाई का विलाप खत्म होता। दिन महीने पंख लगाकर उड़ते गये और कन्जी के ब्यावन का आखिरी महीना भी आ गया।

प्रात:काल नीम के पेड़ पर पक्षियों का कलरव बढ़ गया था। रात को हल्की बारिश भी हुई थी सो हवा में उसकी शीतलता व्याप्त थी। मंद-मंद हवा चल रही थी। तीनों बच्चे घर के आगे ही खेल रहे थे। अचानक कन्जी इधर-उधर चक्कर काटने लगी। जलबाई ने देखा कि कन्जी ब्याहने वाली है। उसने पड़ोस के भगवान्या को बुलाया जो भैंस के मामले में काफी अनुभवी आदमी था। थोड़ी देर बाद भगवान्या ने मसक्कत कर कन्जी को प्रसव से निवृत कर दिया। कन्जी ने एक शानदार नन्ही सी पड़िया को जन्म दिया था। छोटी पढ़िया बार-बार उठने की कोशिश कर रही थी। उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा देखकर जलबाई के तीनों बच्चे खुश हो रहे थे। कन्जी अपने बच्चे को बड़े प्यार से चाट रही थी। रामबाई कन्जी के सिर को खुजला रही थी। आखिरकार तीनों बच्चों ने जो ढेर सारे सपने देखे थे आज वे पूरे होने की कगार पर थे। यह सारा माजरा चल ही रहा था की अचानक रमेश का फूफा कैलाशी वहां आ गया। रमेश ने उसके पैर छुए और बड़े उत्साह से बताया कि फूफा जी हमारी कन्जी ने एक प्यारा सा बच्चा दिया है। कैलाशी ने कन्जी को हसरत भरी नजरों से देखा और उसकी नजर उस पर थोड़ी देर के लिये स्थिर हो गई।

जब से रमेश के पिता रामकिशन की मौत हुई है कैलाशी ने एक बार भी आकर इनके सुख-दुख के बारे में नहीं पूछा। जब सब लोग कन्जी के ब्यावन से निवृत हो गये तो उसने जलबाई को अपने पास बुलाया और कहने लगा- "देख जलबाई, जिसका लिया है उसका देना तो पड़ता ही है। अब तक मैं रिश्तेदारी और तुम्हारी हालत की वजह से चुप था।"

सुनकर जलबाई चोंकी -"मगर आप यह सब मुझ से क्यों कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं।" "क्या रामकिशन ने मरते वक्त तुम्हें कर्जे के बारे में कुछ नहीं बताया। "कैलाशी ने बीड़ी सुलगाते हुए कहा। "नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं बताई। हमें तो कर्जे की कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। "जलबाई ने चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहा।

"देख जलबाई, रामकिशन ने मरने से पांच महीने पहले मुझसे तीन सौ रुपये उधार लिये थे। उसने कहा था कि खाद, बीज और कुछ अन्य जरूरत के लिये रुपये चाहिए।" कहकर कैलाशी ने मुंह से बीड़ी का बेतरतीब धुंआ छोड़ा।

"नहीं, वे रुपया लेते तो मुझे जरूर बताते। वे कोई भी बात मुझसे कभी नहीं छिपाते थे।" जलबाई के चेहरे पर हवाईयां उड़ने लगी। उसने साफ कह दिया कि उन्होंने किसी से कोई उधार नहीं लिया था। हमने तो सदा अभाव में ही जिंदगी काटी है। कई रात हम भूखे भी सो गये लेकिन किसी से कर्ज नहीं लिया। सुनकर कैलाशी को क्रोध आ गया और उसने चीख-चीख कर आस-पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लिया। देखते ही देखते वहां काफी भीड़ हो गई। कैलाशी सबके सामने चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा था – "इस जमाने में किसी की मदद करना तो सबसे बड़ा पाप है।"

गांव का पटेल भूरजी भी वहां आ पहुंचा।

"क्यों रिश्तेदार कैलाशी यह क्या तमाशा लगा रखा है। सारा मामला बयान करो?" भूरजी ने खाट पर बैठते हुए कहा।

"पटेल जी, दरअसल रामकिशन ने मरने से पांच महीने पहले खाद, बीज और अन्य घरेलू कामों के लिये मुझसे एक हजार रुपये उधार लिये थे। उसने इन रुपयों को छह महीने में लौटाने को कहा था मगर उसकी अचानक मौत हो गई। इस कारण मैं भी चुप रहा, आखिर वो मेरा साला था। मैंने यही सोचा कि साल दो साल में जब सब कुछ ठीक-ठाक हो जायेगा तो जलबाई से मांग लूंगा। मैंने रिश्तेदारी के लिहाज से कभी बीच में तकाजा नहीं किया। अब उस बात को चार साल हो गये। आखिर मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूं। जब मैंने इन रूपयों को जलबाई से मांगा तो यह देने से साफ मुकर गई। बताओ पंचो अब मैं कहां जाऊं? क्या मैंने इनकी मदद करके कोई पाप किया था?" कहकर कैलाशी अपनी आंखों से आंसू बहाने लगा।

सारी बात सुनकर भूरजी ने जलबाई से कहा- "क्यों री जलबाई, तू क्या कहती है इस मामले में?"

"पंचों तुम तो सदा से हमें देखते आ रहे हो, मेरे पति ने कितने दुख उठाए थे फिर भी किसी से कोड़ी भी उधार नहीं मांगी। हम भूखे रहे, लाख दुख झेले फिर भी हमने किसी गांव वाले से या रिश्तेदार से कभी कर्ज नहीं मांगा। आप सब इस बात के गवाह हैं।" कहते कहते जलबाई फफक-फफक कर रोने लगी।

भीड़ में से गांव का सुरजन बोला- "इसमें कोई शक नहीं कि जब तक रामकिशन जिंदा था वो अपनी मेहनत का खाता था। उसके मरने के बाद जलबाई ने लाख दुख झेले मगर कभी किसी से पाई भी उधार नहीं ली। रही बात खाद बीज की तो रामकिशन के हिस्से में तो ले-देकर एक ही खेत है उसके लिये एक हजार रुपये की जरूरत कहां से पड़ गई। मैं इससे बिलकुल भी सहमत नहीं हूं कि रामकिशन ने इतनी बड़ी रकम उधार ली। यदि रकम उधार लेता तो जलबाई को जरूर बताता।" सुरजन की बात का कई लोगों ने समर्थन किया। इतना सुनते ही कैलाशी दहाड़े मारकर रोने लगा- "ठीक है मैं तो चला जाऊंगा लेकिन याद रखना बहु-बेटी का रुपया आज तक किसी को हजम नहीं हुआ है।"

"तू पहले यह तो बता कि रुपया देते समय कोई गवाह था और कोई लिखा पढी भी की थी।" भूरजी ने पूछा।

सुनकर कैलाशी पुनः भीड़ के बीच आ गया, अपनी जेब से उसने एक कागज निकाला और कहने लगा- "पंचों रामकिशन मेरा साला था। मैं कोई लेन-देन का धंधा तो करता नहीं की किसी गवाह के सामने रुपये गिनूं। मैंने उसे एक हजार रुपये अकेले में ही दिए थे। परन्तु रामकिशन ईमानदार आदमी था। उसे मौत का पूर्वाभास हो गया था। उसने जेब में रुपये रखकर मुझसे कहा था कि जीजा यह रुपये पैसे का मामला है सो मैं पहले से ही यह कागज लिखवा लाया हूं और इस पर मैंने अंगूठा भी लगा दिया है।" कहकर

कैलाशी ने वो कागज भूरजी के हाथों में सौंप दिया। गांव के राजू मास्टर को बुलाया गया। उसने सबके सामने वो कागज पढ़ा और यह सुनिश्चित कर दिया कि रामकिशन ने एक हजार रुपये उधार लिये थे। सारी बात सुनकर भूरजी ने जलबाई से कहा– "देख जलबाई यह तो खुलासा हो ही गया है कि रुपये उधार लिये गए थे। अब तू यह बता इसे कैसे चुकाएगी?"

"पटेल जी मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। मैं कैसे बच्चों का पालन–पोषण कर रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। हम अभी मरे नहीं हैं, यदि मेरे पति ने रुपये लिए हैं तो मैं जीते जी चुका दूंगी मगर अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ" जलबाई की आंखें अविरल बहे जा रही थीं। मौका देखकर कैलाशी बोला–

"पंचों मुझे जलबाई पर अब बिलकुल भी विश्वास नहीं रहा। यह तो आपकी मेहरबानी है जिसके कारण कम से कम इसने रुपये लेने की बात तो कबूल ली। कल के जाये यह पलट भी सकती है। जो भी हो मेरा आज ही हिसाब करवा दो। अब वे रूपये ब्याज सहित काफी बढ़ गए हैं।" कहकर कैलाशी ने भूरजी के पांव पकड़ लिये।

"लेकिन इनकी हालत तो तुमसे छिपी नहीं है। यह कहां से इतनी बड़ी रकम लाएगी।" भूरजी ने कैलाशी से कहा।

"देखिए पटेल जी, मुझे चाहे घाटा रहे या फायदा, जब हिसाब ही करना है तो आज ही मुझे इसकी भैंस दिलवा दीजे। उससे ही मैं भरपाई कर लूंगा।" कहकर कैलाशी ने कन्जी की ओर कनखियों से देखा।

गांव के लोग खासकर लड़की के रूपये को पाप समझते हैं। कैलाशी की पत्नी इसी गांव की लड़की थी सो अधिकतर लोगों ने कहा कि यह भैंस देकर इसका टन्टा तोड़ दो। चारों ओर से यही आवाज आ रही थी। जलबाई ने पंच–पटेलों के आगे लाख गुहार लगाई मगर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे–धीरे भीड़ वहां से हट गई। वहां रह गये तो केवल कैलाशी और जलबाई के बच्चे। कैलाशी ने कन्जी को खूटे से खोला। नवजात पडिया को उसने अपनी गोद में उठा लिया। यह देखते ही रमेश कन्जी की गरदन से लिपट गया। धरमू और रामबाई दोनों कन्जी के गले की रस्सी को कैलाशी के हाथों से छुड़ाने लगे। तीनों बच्चों का रूदन इतना तीव्र था कि गांव के दूसरे छोर तक उनकी आवाज जा रही थी। कैलाशी ने धरमू और रामबाई को धक्का देकर एक तरफ पटक दिया और कन्जी की गरदन से रमेश को अलग करने लगा। जलबाई रोती हुई आई और उसने रमेश को गर्दन से अलग कर घर की ओर धकेलती ले गई। कैलाशी कन्जी को खींचे ले जा रहा था। थोड़ी दूर तक तो कन्जी अपने नवजात के मोह में कैलाशी के पीछे जाती रही। उधर रमेश भी मां के हाथों से छूटकर कन्जी की तरफ भागने को उतारू हो रहा था। सारा घर बच्चों के करूण रुदन से चीत्कार उठा। रूदन का कोलाहल थम नहीं रहा था। रमेश को जलबाई ने पकड़ रखा था, परन्तु रामबाई का रो–रो कर बुरा हाल था। धरमू रामबाई को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, मगर रामबाई का विलाप तेजी से बढ़ रहा था।

पशु मूक जरूर होता है परन्तु भावनात्मक वेग तो उसके हृदय में भी मनुष्य से कम नहीं होता। कन्जी ने अपने नवजात का मोह छोड़कर गर्दन से एक जोरदार झटका दिया और कैलाशी की पकड़ से छूटकर जोर से भाग निकली। वो सीधी रमेश के पास आकर उसके माथे को चाटने लगी।

पशु मूक जरूर होता है परन्तु भावनात्मक वेग तो उसके हृदय में भी मनुष्य से कम नहीं होता। कन्जी ने अपने नवजात का मोह छोड़कर गर्दन से एक जोरदार झटका दिया और कैलाशी की पकड़ से छूटकर जोर से भाग निकली। वो सीधी रमेश के पास आकर उसके माथे को चाटने लगी। रमेश भी जलबाई की बांहों से अलग हो कन्जी की गर्दन से लिपट गया।

गुस्से में निर्दयी कैलाशी ने कन्जी के बच्चे को एक तरफ पटका और पास में पड़े बड़ीते से एक मोटा सा लट्ठ निकालकर कन्जी को निर्ममता से मारने लगा। इस दृश्य को देखकर रामबाई बेहोश हो गई और डर के मारे धरमू अपनी माँ से जा चिपटा। रमेश को भी झिंझोड़कर एक ओर धकेल दिया। कन्जी को लेकर कैलाशी वहां से चला गया। रमेश ने एक बार फिर कातर दृष्टि से कन्जी के खोजों (पदचिन्हों) पर ड़ाली। थोड़ी देर वो उन खोजों को देखता–देखता आगे बढ़ता गया। उसे रह रहकर उन खोजो में कभी कन्जी तो कभी उसका नन्हा–सा नवजात बच्चा नज़र आ रहा था। हवा का एक तेज झोंका आया और कन्जी के खोजो को धूमिल कर गया। रमेश की आंखें पथरा गई। हवा के उस तेज झोंके के साथ ही उसकी दूध की लालसा भी हवा के वेग में बह गई। उसे लगा जैसे उसका दिमाग फटकर बाहर आ जायेगा। वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बेहोशी की हालत में रमेश बड़बड़ाए जा रहा था– "माँ मेरी रोटी पर भी लोनी घी रख दो। माँ मेरे कटोरे में सबसे ज्यादा दूध ड़ाल दो। "सुनकर जलबाई को लग रहा था जैसे उसके शरीर से किसी ने सारा खून निकाल लिया हो। निढाल सी होकर रोते–रोते रमेश को उसने अपनी बांहों में भर लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की तेज धार बह रही थी। रमेश के कटोरे में जलबाई दूध तो नहीं ड़ाल सकी परन्तु जलबाई के आंसू और रमेश की सिसकियों की गति जरूर तेज होती जा रही थी।

(विजय सिंह मीना)
निदेशक (राजभाषा),
जल शक्ति मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली

◆◆◆

माँ

लगती सबसे प्यारी माँ और ममता की क्यारी माँ।
मिले न कहीं उधारी माँ, सब रिश्तों में न्यारी माँ।
माँ को जान भगवान समान, ऋणी है उसका हर इंसान।
बच्चा बनता वही महान, जो करता माँ का सम्मान।
तुम भी सीखों ऐसा करना, माँ के लिए तुम सीखो मरना।
माँ स्नेह का बहता झरना, माँ की सीख सदा चित धरना।

कुमारी चेतना माहौर
सुपुत्री श्रीमती शारदा रानी, वरि. सहायक

राजभाषा नियम 1976

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से क्षेत्र 'क' और 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि, असाधारण दशाओं को छोड़कर, हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से 'ग' क्षेत्र में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

3. हिन्दी में पत्रादि इन कार्यालयों से ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अवधारित करें।

4. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों आदि के बीच पत्राचार हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। अधिसूचित कार्यालयों को संबोधित पत्रादि का दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5. हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रादि का उत्तर, बिना चूके हिन्दी में दिया जाना है।

6. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। इनको दविभाषी में ही जारी किया जाना है। इस अपेक्षा को सुनिश्चित करना, ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व है।

7. कोई कर्मचारी हिन्दी या अंग्रेजी में आवेदन, अपील या अभ्यावेदन कर सकता है। हिन्दी में लिखित या हिन्दी में हस्ताक्षारित आवेदन आदि का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाएगा।

8. कोई कर्मचारी किसी मिसिल पर टिप्पणी आदि हिन्दी में या अंग्रेजी में लिख सकता है। उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने, उस कर्मचारी से अपेक्षा नहीं की जाएगी।

9. यदि किसी कर्मचारी ने हिन्दी माध्यम से मैट्रिक, उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, स्नातक या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा में हिन्दी को वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था या विहित प्रपत्र में घोषणा कर ली है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसके बारे में, यह समझाा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या

    (i) उससे उच्चतर परीक्षा, हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है या हिन्दी शिक्षण योजना की विनिर्दिष्ट परीक्षा पास की है या विहित प्रपत्र में घोषणा कर ली है कि उसे हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(ii) जिन कार्यालयों के 80% या उससे अधिक कर्मचारियों को हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, उन कार्यालयों के नाम इस वास्ते भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

11. मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन-सामग्री आदि दविभाषी रूप में प्रकाशित किए जाएंगे। रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे। सभी नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन-सामग्री की अन्य मदें भी द्विभाषी रूप में होंगी।

12. उपर्युक्त नियमों और उसके तहत जारी आदेशों और अनुदेशों तथा निदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करना प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व है।

◆◆◆

जोकर की सीख

साभार: नवोदय टाइम्स

एक बार एक जोकर सर्कस में लोगों को एक चुटकुला सुना रहा था। चुटकुला सुनकर लोग खूब जोर-जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद जोकर ने वही चुटकुला दोबारा सुनाया। अबकी बार कम लोग हंसे। थोड़ा समय और बीतने के बाद तीसरी बार भी जोकर ने वही चुटकुला सुनाना शुरू किया। पर इससे पहले वह अपनी बात खत्म करता बीच में ही एक दर्शक बोला, "अरे! कितनी बार एक ही चुटकुला सुनाओगे... कुछ और सुनाओ अब इस पर हंसी नहीं आती।"

जोकर थोड़ा गम्भीर होते हुए बोला, "धन्यवाद भाई साहब, यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ..... जब खुशी के एक कारण की वजह से आप लोग बार-बार खुश नहीं हो सकते तो दुख के एक कारण से बार-बार दुखी क्यों होते हो। भाईयों हमारे जीवन में अधिक दु:ख और कम खुशी का यही कारण है कि हम खुशी को आसानी से छोड़ देते हैं पर दु:ख को पकड़ कर बैठे रहते हैं।"

आशय यह है कि जीवन में सुख और दु:ख का आना-जाना लगा रहता है पर जिस तरह एक ही खुशी को हम बार-बार महसूस नहीं करना चाहते, उसी प्रकार हमें एक ही दु:ख से बार-बार दु:खी नहीं होना चाहिए। जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम दु:खों को भूलकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं।

◆◆◆

तुम अपने शुभ कर्मो रूपी बीज बोते रहो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि इनमें से कौन-सा फल देगा, हो सकता है कि सभी फल देने वाले हो जाएं।

–अल्बर्ट आइन्स्टाइन

वाप्कोस के क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 07.09.2020 से 21.09.2020 के दौरान आयोजित 'हिन्दी दिवस'/'हिन्दी पखवाड़े' की रिपोर्ट एवं झलकियां

भोपाल कार्यालय

दिनांक 07.09.2020 से 21.09.2020 तक वाप्कोस के भोपाल कार्यालय में 'हिन्दी पखवाड़े' का आयोजन किया गया। इस दौरान निबंध लेखन प्रतियोगिता, कविता लेखन एवं शब्दावली प्रतियोगिता (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए) और दिनांक 12.09.2020 को वेबिनार के माधम से 'दूरस्थ संवेदन तकनीकी द्वारा जलाशयों की क्षमता में कमी का ऑकलन' विषय पर एक तकनीकी संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में ना सिर्फ वाप्कोस के अभियंता उपस्थित थे, बल्कि जल संसाधन विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग आदि के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर श्री एस.जी. फडके (टीएलई) तथा श्री आर.के. खण्डेलवाल (टीएलई) भी उपस्थित थे। इस दौरान डॉ. उदय रोमन, परियोजना प्रबंधक द्वारा धन्यवाद भाषण दिया गया। पखवाड़े के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में सभी कार्मिकों ने बड़े उत्साह के साथ बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

हैदराबाद कार्यालय

वाप्कोस के हैदराबाद कार्यालय में दिनांक 07.09.2020 से 21.09.2020 तक **'हिन्दी पखवाड़े'** का आयोजन किया गया। दिनांक 14 सितम्बर, 2020 को **'हिन्दी दिवस'** का आयोजन किया गया। इस दौरान दैनिक कार्यालयीन शब्दों का अनुवाद तथा हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए।

बैंगलूरू कार्यालय

वाप्कोस के बैंगलूरू कार्यालय में दिनांक 07 से 21 सितम्बर, 2020 तक **'हिन्दी पखवाड़े'** का आयोजन किया गया। इस दौरान दिनांक 14.09.2020 को **'हिन्दी दिवस'** मनाया गया तथा हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें परियोजना प्रबंधक द्वारा राष्ट्रभाषा का महत्व और इतिहास के बारे में जानकारी दी और कार्यालय के कामकाज में ज्यादा से ज्यादा हिन्दी के इस्तेमाल करने का अनुरोध किया। कार्मिकों ने कार्यालय के विविध विषयों के संबंध में हिन्दी में वार्तालाप व टिप्पणी आदि का अभ्यास किया और प्रतिदिन कार्यालय का ज्यादा से ज्यादा कार्य हिन्दी में करने का संकल्प लिया।

गांधीनगर कार्यालय

वाप्कोस के गांधीनगर कार्यालय में दिनांक 07.09.2020 से 21.09.2020 तक **'हिन्दी पखवाड़े'** का आयोजन किया गया। दिनांक 14 सितम्बर, 2019 को **'हिन्दी दिवस'** का आयोजन किया गया। इस दौरान हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए।

कोलकाता कार्यालय

वाप्कोस के कोलकाता कार्यालय में कार्यालय के कामकाज में राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा करने और उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 07.09.2020 से 21.09.2020 तक **'हिन्दी पखवाड़े'** का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यालय के परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में निबंध, श्रुतलेख, शब्दावली, चित्र अभिव्यक्ति तथा आशु भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान 14 सितम्बर, 2020 **'हिन्दी दिवस'** के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यालय के लोगों को हिन्दी भाषा के प्रति सहजता प्रदान करना और उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने एवं दैनिक कार्य में बढ़ावा देना है। इस आयोजन से कार्मिकों के चेहरे पर कार्यालय के कामकाज में राजभाषा हिन्दी की महत्ता को लेकर एक नई उमंग दिखाई पड़ी।

◆◆◆

गर्व हमें है हिन्दी पर, शान हमारी हिन्दी है,
कहते-सुनते हिन्दी हम, पहचान हमारी हिन्दी है।

भाड़भूत बैराज परिक्रमा

परिचय

मध्य प्रदेश के शादोल जिले के अमरकंटक में नर्मदा कुंड से निकलने वाली नर्मदा नदी गुजरात में दाहेज के पास खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1312 किलोमीटर की लम्बाई में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह देश की सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली नदी है, जो लाट के बीच लगभग 98,796 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है। मध्य प्रदेश (81%), गुजरात (12%), महाराष्ट्र (4%), छत्तीसगढ़ (2%) और आंध्र प्रदेश के माध्यम से 210-20 से 230-45 और दीर्घ 720-32%), अंतिम 161 किलोमीटर गुजरात में है। नदी के दोनों किनारों पर कई सहायक नदियाँ हैं, 22 तट पर और 19 दाहिने तट पर। महत्वपूर्ण बायें तट की सहायक नदियाँ बर्नर, बंजार, तव, गोई और कर्जन हैं, जबकि दायें किनारे पर कोलार, मणि, उड़ी, बाटनी और ओसरंग हैं। मानसून के दौरान 90% से अधिक औसत वार्षिक प्रवाह के साथ नदी में लगभग 41,000 एमएम 3 की विशाल जल संसाधन क्षमता है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (NWDT) के अनुसार, नर्मदा बेसिन के विकास के लिए 31 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं, 135 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और 3000 से अधिक लघु सिंचाई परियोजनाओं का अनुमान लगाया गया है। यह नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन है।

आकृति 1: खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नर्मदा नदी का निचला हिस्सा

नर्मदा नदी की बाढ़ इसकी सबसे कम पहुंच में सबसे गंभीर है, जिसकी वजह से नदी में ज्वार प्रवाह के दैनिक घुसपैठ के कारण नदी के प्रवाह को घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अनुपयोगी बना देती है और स्थानीय नर्मदा जल आपूर्ति को बाधित करती है। हालांकि, दूसरी ओर, एसएसपी के निचले हिस्से में नदी के किनारे भरुच, अंकलेश्वर,

हंसोट, दाहेज और अन्य शहरों को विकसित किया गया है। इन शहरों और कई अन्य औद्योगिक परिसरों में औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। इस क्षेत्र में पानी की आवश्यकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इसके अलावा, बाएं तट पर, धंतुरिया गांव के पास, लगभग 4-5 किलोमीटर लंबा खिंचाव, नियमित ज्वार प्रभाव के कारण नष्ट हो रहा है और बायें किनारे के अंकलेश्वर, हंसोत और अन्य गांव भी लगभग हर साल प्रभावित होते हैं।

ज्वारीय प्रभावित खिंचाव में इस तरह के प्राथमिक दुष्परिणामों के अलावा, आस-पास के क्षेत्रों में माध्यमिक बीमार परिणाम देखे जाते हैं:

- एसएसपी के नदी के निचले हिस्से से ताजे पानी के पुनर्भरण के अभाव में, उप-सतही समुद्री जल अंतर्ग्रहण निर्बाध रूप से बना रहता है।
- खारे पानी की मात्रा के कारण भूजल तेजी से प्रदूषित हो जाता है।
- अंकलेश्वर से लगभग 100 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को कवर करने वाली उपजाऊ कम भूमि, उच्च ज्वार के कारण जलमग्न हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप, इन जमीनों को समय के मोटे अंतर में 'बंजर' भूमि में बदलने की संभावना है।

उद्देश्य

इस तरह के बढ़े दुश परिणामों के लिए एक उपाय के रूप में, कल्पसर विभाग, गुजरात सरकार ने, नर्मदा नदी के प्रवाह को ज्वार के पानी से अलग करने की योजना बनाई है, जो भरभूच गांव के निकट नारमदा नदी के पार भरमच के लगभग 25 कि.मी. की दूरी पर भरभुत गांव के पास एक बराज का निर्माण कर रही है।

- **लवणता की समस्या की जांच करने और नदी के पानी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए**

  लगतार खारेपन के कारण भूमि के संसाधनों के क्षरण के साथ भूजल की गुणवत्ता भी बिगड़ती जा रही है। दूसरी ओर बैराज, एसएसपी से छोड़े गए पानी के भंडारण को बनाने का काम करेगा, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में भूजल की गुणवत्ता में सुधार होगा।

- **सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए ताजे पानी का भंडारण करना**

  सरदार सरोवर परियोजना से विनियमित ताजा पानी 5.0% (FRL) के स्तर पर प्रस्तावित बैराज में संग्रहित किया जाएगा। पानी का ऐसा भंडारण दाहेज, GIDC, PCPIR, GNFC और अन्य उद्योगों में उद्योगों की पानी की जरूरतों को पूरा करेगा।

- **लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना**

  भदभुत बैराज के निर्माण से नर्मदा का पानी बढ़ने के कारण, मौजूदा लिफ्ट 2436 हे. कमांड क्षेत्र में तीन लिफ्ट सिंचाई योजनाएं और 2000 हेक्टेयर ऊंची-ऊंची भूमि जहां नहर का पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां सुनिश्चित जल आपूर्ति हो सकेगी।

- **सूरत/हजीरा से दाहेज क्षेत्र के लिए वैकल्पिक छोटी सड़क कनेक्टिविटी बनाने के लिए**

  भदभुत बैराज के निर्माण से सूरत और अहमदाबाद के बीच और सूरत और भरुच के बीच का यातायात बहुत भारी है और निकट भविष्य में और तीव्र होगा। प्रस्तावित बैराज के निर्माण से सूरत (हजीरा) – ओलपैड-होनसोट स्टेट हाईवे से दाहेज क्षेत्र को वैकल्पिक छोटी कनेक्टिविटी मिलेगी।

- **नर्मदा के बाएं किनारे पर निचले इलाकों की बाढ़ से बचाने और उपजाऊ भूमि का संरक्षण करने के लिए**

  खंभात की खाड़ी की ओर भरुच का बहाव, नर्मदा नदी का तट अधिक ऊंचा नहीं है। दाहिना बैंक लगभग 2 मीटर ऊंचा है जबकि बायां बैंक उच्चतम बाढ़ स्तर से लगभग 3 मीटर नीचे है। नतीजन, नर्मदा नदी में उच्च बाढ़ के दौरान, बाएं तट पर लगभग 400ha की उपजाऊ भूमि आंशिक रूप से 100 वर्ग किलोमीटर की हद तक पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है। प्रस्तावित संरक्षण तटबंध विशेष रूप से नदी के बाएं किनारे पर इन कम झूठे उपजाऊ भूमि के बाढ़ के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा।

सारांशः

अगर हम कम शब्दों में भदभुत बैराज के निर्माण की व्याख्या करें तो यह बैराज भविष्य में बाढ़ से होने वाले दुश प्रभावों को रोकेगा और साथ ही साथ सिंचाई, स्वच्छ जल की आपूर्ति, आद्यौगिक इकाइयों को जल की पूर्ति, छोटी सड़क कनेक्टिविटी, लवणता की समस्या की जांच करने और नदी एवं भूमि के पानी की गुणवत्ता और उसके स्तर को बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

(संगीता झा)
प्रबन्धक (हाइड्रो-पावर)

◆◆◆

हिन्दी एक जीवंत भाषा है, जो संपूर्ण भारत को जोड़ने वाली और देश की सम्पर्क भाषा है। निर्विवाद रूप से हिन्दी देश की एकता की कड़ी है और हमें इसे दैनिक व्यवहार में अपनाना चाहिए। आपसी संपर्क का सबसे सरल एवं सशक्त माध्यम केवल हिन्दी है।

कविताएं

आया कोरोना, हाय कोरोना

आया कोरोना, हाय कोरोना,
लंबा जाल बिछाया कोरोना
सबको लिया फंसाया कोरोना,
हाय कोरोना, आया कोरोना,

Lockdown ने बोर कर दिया,
सब कुछ बंद कराया कोरोना,
पार्क–माल ताला लगवाए,
घर में बंद कराया कोरोना,
मस्ती को तो भूल ही गए,
ऐसा हमें डराया कोरोना,

आया कोरोना, हाय कोरोना,
लंबा जाल बिछाया कोरोना।

दादी–नानी, बुआ–मौसी,
सबसे दूर कराया कोरोना,
साइकिल, क्रिकेट छूट ही गए,
कैरम ही खिलवाया कोरोना,
चाउमीन, बर्गर याद आते हैं,
घी–रोटी खिलवाया कोरोना

आया कोरोना, हाय कोरोना,
लंबा जाल बिछाया कोरोना।

सबसे अच्छी मेरी माँ

सबसे अच्छी मेरी माँ,
मुझको हर पल भाये माँ,
मुझको गले लगाए माँ,
सबसे अच्छी मेरी माँ।

मेरी हर फरमाइश को,
पूरा करती जाए माँ,
फिंगर चिप्स हो या बर्गर,
सब कुछ ही दिलवाए माँ,
हैयर बैंड या हैंड बैंड हो,
बाजार से लाये माँ,
हर सोमवार नान–खटाई,
मेरे लिए तो लाये माँ

सबसे अच्छी मेरी माँ,
मुझको हर पल भाये माँ।

होमवर्क भी मुझे कराती,
मैथ्स भी समझाये माँ,
हर छुट्टी में नानी के घर,
मुझको भी ले जाए माँ,
जब हो जाए मुझको खांसी,
कड़वी सिरप पिलाये माँ

सबसे अच्छी मेरी माँ,
मुझको हर पल भाये माँ।

(कु. आकृति राणा व कु. अक्षिता राणा)
सुपुत्रियाँ श्री विमल किशोर राणा, प्रारूपकार (ज.सं.वि.)

उठ जाग मुसाफिर (भजन)

उठ जाग मुसाफिर भोर भई,
अब रैन कहां जो सोवत है।

जो जागत है, सो पावत है,
जो सोवत है, सो खोवत है।

टुक नींद से अखियां खोज जरा,
और अपने प्रभु से ध्यान लगा।

ये प्रीत करन की रीत नहीं,
प्रभु जागत है तू सोवत है।
उठ जाग मुसाफिर.........

नादान भुगत करनी अपनी,
ए पापी पाप में चैन कहां।

जब पाप की गठरी सीस धरी,
फिर सीस पकड़ क्यों रोवत है।
उठ जाग मुसाफिर.........

जो कल करना है, आज कर ले,
जो आज करना है अब कर ले।

फिर चिड़ियों ने चुग खेत लिया,
फिर पछताये क्या होवत है।
उठ जाग मुसाफिर.........

◆◆◆

(श्रीमती सुदर्शन सचदेवा)
माताजी श्रीमती सिम्मी वधवा

राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रभाषा - हिन्दी

साभार : राजभाषा भारती

राष्ट्रभाषा को समझने से पहले 'राष्ट्र', 'देश' और 'जाति' शब्दों को समझना असमीचीन न होगा। वस्तुतः राष्ट्र को अंग्रेजी शब्द 'नेशन' का हिंदी पर्याय माना जाता है, किन्तु इन दोनों शब्दों में कुछ अंतर है। अंग्रेजी में नेशन शब्द से अभिप्राय किसी विशेष भू-खण्ड में रहने वाले निवासियों से है जबकि 'राष्ट्र' शब्द विशेष भूमि-खंड, उसमें रहने वाले निवासियों और उनकी संस्कृति का बोध कराता है। राजनीतिक दृष्टि और भौगोलिक रूप से एक विशेष भूमि-खंड को देश की संज्ञा दी जाती है, किन्तु इसका संबंध मानव समाज से नहीं है। 'जाति' से अभिप्राय उस मानव समुदाय से है जो सामाजिक विकास के क्रम में पहले जन या गण के रूप में गठित होती है। यह गण समाज अर्थात् जन समुदाय आर्थिक आधार पर जुड़कर एक निश्चित जाति का रूप धारण कर लेता है। इस जाति का अपना प्रदेश और अपनी भाषा होती है। यूनान में अनेक गणराज्य थे, जिनमें सामन्ती व्यवस्था वाली लघु जातियां थीं। भारत में भरत, कुरु, पांचाल आदि अनेक गण समाज थे। बौद्ध काल के जनपद या महाजनपद लघु जातियों के ही प्रदेश थे, जिनमें ब्रज, अवध, बुंदेलखंड आदि लघु जातियों वाले अनेक प्रदेश बने, जिनकी अपनी-अपनी भाषा है। इन्हीं से हिन्दी भाषी जाति का निर्माण हुआ है। हिन्दी के साथ-साथ मराठी, बांग्ला, तमिल आदि भाषाएं बोलने वाली अनेक जातियां भी अस्तित्व में आई हैं। कुछ विद्वान 'जाति' का अर्थ 'नेशन' से भी जोड़ते हैं।

'राष्ट्र' शब्द व्यापक अर्थ लिए हुए है। इसके अंतर्गत देश और जाति, दोनों की संकल्पना निहित है। वैदिक काल से ही 'राष्ट्र' शब्द का प्रयोग भूमि, जन और संस्कृति के अंतर्ग्रथित रूप में चला आ रहा है। दूसरे शब्दों में कहें, तो 'राष्ट्र' शब्द में तीन सन्दर्भों का सम्मिलन होता रहा है- एक, वह भूखंड या भूमि जिसमें मानव समुदाय रहता है, दो, स्वयं मानव समुदाय और तीन, उस मानव समुदाय की संस्कृति। 'मनुस्मृति' में राष्ट्र को जिला, मंडल, प्रदेश या राज्य, देश या साम्राज्य के साथ-साथ प्रजा, जनता या अधिवासी के अर्थ में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार इसमें भूमि, जन और उनकी संस्कृति सभी कुछ समाहित है। अपनी जन्मभूमि के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति से भी राष्ट्र की भावना जन्म लेती है। इसी अभिव्यक्ति को 'रामायण' के रचयिता वाल्मीकि ने राम के मुख से कहलाया है- **जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।**

राष्ट्र से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसे कुछ विद्वान व्यापारिक पूंजीवाद की देन मानते हैं। वस्तुतः राष्ट्रवाद किसी समुदाय की वह आस्था है जिसके अंतर्गत उस समुदाय का इतिहास, उसकी परम्परा, संस्कृति, भाषा और जातीयता आधार के रूप में समाहित होते हैं। यूरोप का नवजागरण और फ्रांस, इटली, ब्रिटेन आदि देशों का राष्ट्रवाद व्यापारिक पूंजीवाद का परिणाम माना जाता है।

भारत में राष्ट्रवाद का विकास ब्रिटिश शासनकाल में राष्ट्रीयता की भावना पैदा होने से हुआ। राष्ट्रीयता से राष्ट्र में एक्य की भावना जन्म लेती है और राष्ट्रीय एकता के लिए आंतरिक सौहार्द एवं सद्भावना, राष्ट्र-भक्ति और संगठन के भावना की आवश्यकता होती है।

विश्व में तीन प्रकार के जातीयता वाले राष्ट्र हैं। जापान, ईरान, पोलैंड, रूमानिया आदि देश एकजातीय राष्ट्र हैं। कनाडा, बेल्जियम आदि द्विजातीय राष्ट्र हैं और भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी आदि अनेक देश बहुजातीय राष्ट्र हैं। हर जाति की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपना साहित्य होता है, जिनसे राष्ट्रीय संस्कृति का विकास होता है। भारत बहुजातीय राष्ट्र है जिसमें तमिल, कन्नड, तेलगू, मलयालम, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी आदि कई जातियां हैं। इनके केन्द्र में हिन्दी जाति है, जिसके कारण भारत को 'हिन्दुस्तान' या हिन्दुस्तां' या 'हिन्दी' कहा जाता है। ब्रिटेन में इंग्लिश जाति की प्रधानता के कारण ही उसे 'इंग्लैंड' भी कहते हैं। इसी सन्दर्भ में एक महान शायर इकबाल ने अपने कौमी तराने में कहा है- हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा। इस प्रकार बहुजातीय राष्ट्र से अभिप्राय उस देश से है जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं और उनमें राष्ट्रीय चेतना होती है। ऐसी चेतना का विकास भारत में हुआ है।

जब कोई भाषा जीवंत, स्वायत्त, मानक, उन्नत और समृद्ध होकर समूचे राष्ट्र अथवा देश में सार्वजानिक सम्प्रेषण - व्यवस्था और कार्य-व्यापार में प्रयुक्त होने लगती है, बहुभाषी राष्ट्र में अंतर-प्रांतीय मध्यवर्तिनी भाषा के रूप में विभिन्न भाषा-भाषी समुदायों के बीच बृहत्तर स्तर पर संपर्क भाषा की भूमिका निभाती है तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों में सरकारी कार्यों और पत्र-व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है तो वह राष्ट्रभाषा और राजभाषा के संदर्भ में Nationalism (राष्ट्रीयता) और Nationalism (राष्ट्रता अथवा राष्ट्रिकता) की संकल्पना प्रस्तुत की है। राजभाषा का संबंध राष्ट्रिकता (Nationalism) से रहता है जो राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, राजनैतिक एकता और प्रशासनिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए काम करती है। यह सरकारी काम-काज में प्रयुक्त होकर जनता तथा शासन के बीच संपर्क पैदा करती है। राष्ट्रभाषा का संबंध राष्ट्रीयता (nationalism) से रहता है, क्योंकि राष्ट्रीयता जातीय प्रमाणिकता एवं राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी होती है। राष्ट्रीय चेतना का संबंध सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना से होता है। इसका संबंध भूत और वर्तमान के साथ होता है तथा महान परम्परा के साथ जुड़ा रहता है। वस्तुतः राष्ट्रभाषा राष्ट्र के समाज और संस्कृति के साथ तादात्म्य स्थापित करती है और सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा की अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करती है। यह भाषा जनता की निजी, सहज और विश्वासमयी भाषा बन जाती है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपरक कार्यों में चलता रहता है। इसीलिए राष्ट्रभाषा का अपने देश की भाषा होना अनिवार्य है, किन्तु राजभाषा के लिए अपने देश की भाषा होना आवश्यक नहीं। देश के बाहर की भाषा राजभाषा तो हो सकती है, किन्तु राष्ट्रभाषा नहीं। इस प्रकार राष्ट्रभाषा वही होती है जिसमें राष्ट्रीय प्रवृत्तियां सन्निहित होती हैं, अपने देश की परम्परा के प्रति प्रेम होता है, राष्ट्र की संस्कृति के प्रति लगाव होता है और राष्ट्र की एकता के प्रति भावनाएं होती हैं। अमेरिका के सुविख्यात विद्वान फग्युर्सन के मतानुसार, देश का भाषा नियोजन करते हुए राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अस्मिता, आधुनिक समाज, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में से कम-से-कम तीन लक्ष्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ये विशेषताएं अपने देश की भाषाओं में ही मिल सकती हैं, विदेशी भाषा में नहीं। इसके अतिरिक्त राष्ट्र भाषा के सन्दर्भ में यह कहना भी उचित होगा कि जिस भाषा में राष्ट्र-निष्ठा और राष्ट्रीय भावना नहीं होती, वह राष्ट्र भाषा कहलाने की अधिकारिणी नहीं होती।

प्रश्न उठता है कि हिन्दी में ऐसी कौन-सी विशेषता है जिसके कारण उसे राष्ट्रभाषा माना जा सकता है? साहित्यिक समृद्धि की दृष्टि से हिन्दी का साहित्य श्रेष्ठ है। विश्व के अनेक विद्वानों ने हिन्दी साहित्य की कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि विभिन्न विधाओं की कृतियों का न केवल अनुवाद किया है बल्कि उन पर शोध और आलोचनात्मक कार्य भी किया है। यद्दपि हिन्दी, संस्कृत, तमिल, बांग्ला और अंग्रेजी से अधिक समृद्ध नहीं है तो मराठी, गुजराती, कन्नड़,

तेलुगू, उड़िया आदि अन्य भारतीय भाषाएं भी उससे कम नहीं हैं। हिन्दी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के पद से सुशोभित किया गया, क्योंकि इसे बोलने और समझने वाले इन सभी भाषाओं से अधिक हैं। वास्तव में हिन्दी न तो किसी क्षेत्र विशेष की भाषा है और न ही किसी एक समुदाय की मातृभाषा। वह तो जन-जन की भाषा है, महाजनपद की भाषा है, पूरे राष्ट्र की भाषा है। यद्दपि समय-समय पर इसके स्वरूप में परिवर्तन होते रहे हैं, किन्तु यह अपने मानस में विभिन्न भाषाओं और बोलियों के तत्वों को संजोती रही है। यह एक ऐसी अजस्र प्रवाहिनी गंगा नदी के समान है, जो अन्य भाषाओं एवं बोली रूपी नदियों के सम्मिलन से एक विस्तृत, व्यापक और सुन्दर स्रोतस्विनी का रूप धारण करती रही है। हिन्दी मात्र एक भाषा नहीं, अपितु हमारी राष्ट्रीयता है। हमारे जातीय गौरव का प्रतीक है और भारत अर्थात् हिन्दुस्तान की पहचान है। इसने लोकभाषा खड़ी बोली का आधार लेकर और अन्य बोलियों से सिंचित होकर भाषा का रूप धारण किया और फिर भाषा से भारत की संपर्क भाषा बनी और फिर राजभाषा से गौरवान्वित हुई। राजभाषा से राष्ट्रभाषा का स्वरूप ग्रहण कर लिया और फिर अपने बढ़ते हुए विकास की यात्रा में यह राष्ट्रभाषा इतनी गतिशील हो गई कि विश्व भाषा का स्थान लेने में अग्रसर हो गई है। इसीलिए राष्ट्रीयता की भावना से अनुस्यूत राष्ट्रभाषा दो लक्षणों-आतंरिक एकता और बाह्य विशिष्टता से परस्पर गुंथी होती है। समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की प्रवृत्ति आंतरिक एकता होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाह्य रूप में विशिष्टिता सिद्ध करने की प्रवत्ति होती है। बहुभाषी देश में आंतरिक एकता तभी समभव है जब मातृभाषा के साथ-साथ एक अन्य भाषा संपर्क भाषा के रूप में उभरकर आए और बाह्य विशिष्टता के लिए यह भी आवश्यक है कि सम्पर्क भाषा के रूप में राजभाषा की पदवी पाने वाली वह भाषा स्वदेशी ही हो। ये दोनों लक्षण हिन्दी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा बना देते हैं। इसी कारण हिन्दी को स्वतंत्रता-संग्राम के समय से राष्ट्रभाषा का पद देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

समूचे देश की संपर्क भाषा होने के कारण स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान हिन्दी की प्रासंगिकता को समझा गया और राष्ट्रभाषा की अवधारणा ने जन्म लिया। न केवल हिन्दीभाषी संतों और आचार्यो ने जन-जन के हृदय तक हिन्दी में अपना सन्देश पहुंचाने का कार्य किया, बल्कि दक्षिण और हिन्दीतर-भाषी आचार्यों और संतों का भी विशेष योगदान रहा है। दक्षिण के रामानुज, रामानंद, विट्ठल, वल्लभाचार्य महाराष्ट्र के नामदेव एवं ज्ञानेश्वर, गुजरात के नरसी मेहता तथा स्वामी दयानंद, असम के शंकर देव, पंजाब के गुरूनानक देव आदि आचार्यों और संतों ने देश में जन-जन तक अपना सन्देश पहुंचाने और अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए हिन्दी को अपना माध्यम बनाया। हिन्दी की इस सरलता, सहजता और सार्वदेशिकता के परिप्रेक्ष्य में काका कालेलकर ने कहा था कि हिन्दी सिद्धों की, संतों की और साधारण जन की भाषा है जिसकी सरलता, सुगमता, सुघड़ता और अमरता स्वयं-सिद्ध है। हिन्दी उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने वाली सबसे बड़ी कड़ी है। एक विदेशी अनुसंधानकर्त्ता एच.डी. कोलबुक ने एक सौ वर्ष पूर्व 'एशियाटिक रिसर्च' में लिखा था कि जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, और पढ़े-लिखे लोग और अनपढ़, दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है और जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिन्दी है।

एक शोध से जानकारी मिली है कि मुगल काल से पूर्व भी मुस्लिम राज्यों में शाही फरमानों में हिन्दी का प्रयोग होता था। यद्दपि मुगल काल में फारसी राजभाषा हो गई थी, किन्तु यत्र-तत्र हिन्दी का प्रयोग हाता था। एक शोधकर्त्ता बुलाखमैन ने सन् 1871 में 'कलकत्ता रिव्यू' में लिखा था, "मुगल बादशाहों के शासनकाल में ही नहीं इससे पहले भी सभी सरकारी कागजात हिन्दी में लिखे जाते थे।" स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दक्षिण भारत आदि हिन्दीत्तर भाषी राज्यों के नेताओं, राजनेताओं, साहित्यकारों और समाज सुधारकों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की

मांग की। इनमें राजा राममोहन राय, केशवचंद्र सेन, सुभाषचंद्र बोस, स्वामी दयानन्द, सरदार वल्लभभाई पटेल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सुब्रह्मण्यम भारतीय आदि उल्लेखनीय हैं। सन् 1910 में हिन्दीतर भाषी न्यायमूर्ति शारदा चरण मित्र ने 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' के अवसर पर प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष पं. मदन मोहन मालवीय को शुभ सन्देश भेजते हुए लिखा था कि हिन्दी समस्त आर्यावर्त की भाषा है। यद्दपि मैं बंगाली हूँ तथापि इस वृद्धावस्था में मेरे लिए वह गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ-साथ हिन्दी में वार्तालाप कर सकूँ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक गुजराती भाषी महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिन्दी के महत्व को समझ लिया था और समूचे देश के जन-मानस में उसे राष्ट्रभाषा बनाने की भावना को देखते हुए हिन्दीतर भाषी राज्यों में राष्ट्रभाषा प्रचार समितियों का जाल बिछा दिया। वास्तव में, यह एक मनोसामाजिक यथार्थ था।

स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारतीय राजनेताओं ने देश में बहुभाषिकता की वास्तविकता को समझा, उसे एकसूत्र में बांधने और राष्ट्रीय विकास में हिन्दी की महत्ता को पहचाना और फिर संविधान में राजभाषा का दर्जा देकर उसे गौरवान्वित किया। मुंशी-आयंगर फॉर्मुले के नाम से विख्यात संविधान का भाग-17 है, जिसमें 343 से 351 तक अनुच्छेद हैं और साथ में संविधान के परिशिष्ट में अष्टम अनुसूची। इस अवसर पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने बड़ी मार्मिकता से कहा था कि आज पहली बार हम अपने संविधान में एक भाषा स्वीकार कर रहे हैं, जो भारत संघ के प्रशासन की भाषा हो गई। हमें समय के अनुसार अपने-आप को ढालना और विकसित करना होगा। हमने अपने देश का राजनीतिक एकीकरण किया है। राजभाषा हिन्दी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषा को स्थापित करने से हम निश्चय ही और भी एक-दूसरे के नजदीक आयेंगे।

राजभाषा का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए हिन्दी को सक्षम माना गया। अतः संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। व्यापक अर्थ में हिन्दी का संविधानीकरण करना हिन्दी का राष्ट्रीकरण करना है। इसमें हिन्दी को अखिल भारतीय रूप में देखा गया है, जिससे राष्ट्रीय विकास की संभावनाओं में वृद्धि होती है। यह केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा नहीं है, बल्कि राष्ट्रभाषा की भूमिका भी निभा रही है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने तो उन लोगों की इस बात से कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना है, इंकार करते हुए कहा कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है। यह तो पहले से ही राष्ट्रभाषा है। यह सांस्कृतिक जागरण और भारतीय एकता का आधार है। यदि राष्ट्र की संकल्पना समूचे भारतवर्ष पर लागू हो जाए तो हिन्दी सामाजिक और भावात्मक एकता के लिए राष्ट्रभाषा का कार्य कर सकती है और यदि भारत राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों का संघ या समूह माना जाए तो अन्य भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषा के रूप में कार्य करेंगी, लेकिन यह प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है कि संविधान में स्पष्ट रूप से हिन्दी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं मान लिया गया, जबकि प्रतीक के रूप में राष्ट्र का एक ध्वज, एक गान, एक पक्षी, एक पशु और एक पुष्प निर्धारित हो सकता है तो एक भाषा क्यों नहीं? यह सही है कि बहुभाषी देश में हर भाषा अपने समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक मनोगत अस्मिता से जुड़ी होती है, लेकिन यह भी सत्य है कि देश की राष्ट्रीय अस्मिता, अखण्डता और एकीकरण के साथ-साथ हिन्दी के प्रति जन-मानस की भावना को भी समझना होगा। हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित करने का यह अभिप्राय नहीं है कि यह भाषा अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। इसे बोलने और समझने वाले लोगों की संख्या न केवल देश में सबसे अधिक है, बल्कि यह विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली तीन भाषाओं में से एक है। इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि इसके राष्ट्रभाषा बन जाने से अन्य भारतीय भाषाओं का महत्व कम हो जाएगा। हिन्दी अगर राष्ट्रभाषा बन जाती है तो अन्य भारतीय भाषाओं का

महत्व कम हो जाएगा। हिन्दी अगर राष्ट्रभाषा बन जाती तो अन्य भारतीय भाषाओं के सम्मान और भूमिका में भी वृद्धि होगी और यह भाषाएं हिन्दी की सहयोगी भाषा के रूप में महत्वपूर्ण योगदान करती रहेंगी।

संविधान में हिन्दी संबंधी भाषायी अनुच्छेदों में अनुच्छेद 351 सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपबंध है, जिसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक हो, वहां उसके शब्द-भण्डार के लिए मुख्यत: संस्कृत से गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। इस अनुच्छेद का लक्ष्य हिन्दी को केवल संघ की राजभाषा के स्वरूप के नियोजन तक सीमित नहीं रखना है, वरन भाषा-व्यवहार क्षेत्र से जोड़ना है। हिन्दी के राष्ट्रीय स्वरूप का विकास करने के लिए यह अनुच्छेद संविधान-निर्माताओं की आंतरिक आकांक्षा को व्यक्त करता है ताकि यह देश के सभी भाषायी वर्गों में स्वीकार्य हो सके। इसमें हिन्दी को विकसित करने और समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी संघ सरकार को दी गई। इसका स्वरूप समन्वित और उदार हो, भारत की सभी सांस्कृतियां मिली-जुली हों, उनमें पूर्ण समन्वय हो, जिससे विभिन्न क्षेत्रीय भाषा-समूह, यह अनुभव कर सकें कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में यह विकसित भाषा उनकी अपनी भाषा के निकट है और इस भाषा के निर्माण में उनका योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार संविधान-निर्माताओं ने भविष्य के लिए राष्ट्र की कल्पना की थी। हिन्दी का यह संविधानीकरण हिन्दी के राष्ट्रीयकरण और उसके अखिल भारतीय स्वरूप का तर्कपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है। इसीलिए हिन्दी की परिभाषा सांगोपांग और उदार निर्धारित की गई है यथा, यह भारत की सामासिक संस्कृति अर्थात् मिली-जुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बने। दूसरे शब्दों में, किसी एक ही समुदाय की संस्कृति की वाहिका न बने।

यह अपनी प्रकृति खोए बिना हिन्दुस्तानी और आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के रूप, शैली और पदों को आत्मसात करे अर्थात् क्षेत्रीय भाषाएं राजभाषा हिन्दी का पोषक बनें।

यदि आवश्यकता पड़ती है तो यह अपने विकास के लिए संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द ग्रहण कर सकती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिन्दी भारत की लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द, शैली आदि अपनाकर विकसित होगी, अर्थात् उसमें भारतीय भाषाओं का प्रभाव परिलक्षित होगा। वास्तव में, सभी भारतीय भाषाओं के प्रभाव से विकसित हिन्दी का स्वरूप कृत्रिम नहीं होगा बल्कि वह सार्वदेशिक रूप ग्रहण करेगा, क्योंकि भाषा समाज की सांस्कृतिक अवधारणाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक होती है। इसके अतिरिक्त, धर्म निरपेक्ष होने के कारण हिन्दी को सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनना आवश्यक था। हालांकि भारतीय संस्कृति अपने-आप में ही सामासिक और मिली-जुली है। भारत की विभिन्न उपसंस्कृतियों के आपस में एक-दूसरे के बहुत निकट होने के कारण उन्हें अलग से पहचानना कुछ कठिन है। तथापि, उनमें पारस्परिक आदान-प्रदान होना आवश्यक है ताकि हिन्दी अपनी समन्वयवादी भूमिका भली-भांति निभा सके। वस्तुत: हिन्दी के इस राष्ट्रीय विकास से ही यह संभव हो पाएगा जब इसका व्यापक प्रयोग सभी क्षेत्रों में हो और समूचे देश के राष्ट्रीय जीवन में अधिक व्याप्त हो।

संविधान के अनुच्छेद 343 खण्ड (3) के अधीन राजभाषा अधिनियम, 1963 को लोकसभा में तत्कालीन गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 13 अप्रैल, 1963 को प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य था कि 15 वर्ष की अवधि

(26 जनवरी, 1965) के बाद हिन्दी के अलावा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया जाए। इस विधेयक पर अपना वक्तव्य देते हुए गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हम अंग्रेजी की वर्तमान स्थिति कायम नहीं रख सकते और न ही रहनी चाहिए। जब तक कोई राष्ट्रीय औचित्य न हो तब तक अंग्रेजी के स्थान पर और देश की अन्य राष्ट्रीय भाषाओं को अपनाने में अनिश्चितता बनाए रखना भी उपयुक्त नहीं है। अतंत काल तक अंग्रेजी की वर्तमान स्थिति चलने नहीं दी जा सकती। काफी लंबे वाद-विवाद के बाद यह विधेयक पारित हुआ और 10 मई, 1963 को उस पर हस्ताक्षर हुए।

इस प्रकार भारत की बहुभाषिक स्थिति होते हुए भी हिन्दी के प्रयोग की संभावनाएं अधिक थीं, किन्तु भारत संघ की यह राजभाषा कार्यालयीन भाषा तक सीमित रह गई है। एक विडंबना और न्यायपालिका में, और वह भी हिन्दी भाषी राज्यों में इसका प्रयोग आज भी अत्यल्प हो रहा है, उच्चतम न्यायालय में तो बिलकुल ही नहीं। सभी कानूनी औपचारिकताएं अंग्रेजी में पूरी की जाती हैं जो जनता तक नहीं जातीं। शिक्षा, विशेषकर पब्लिक स्कूलों में और उच्च शिक्षा में, वाणिज्य-व्यापार विज्ञान प्रौद्योगिकी आदि अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजी का वर्चस्व है। वास्तव में, संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देते हुए हमारे भाषा नियोजन में कुछ कमी रह गई, जिसके कारण इसकी सामाजिक सांस्कृतिक एकता की अवधारणा को प्रशासनिक प्रयोजनों तक सीमित कर दिया गया। दूसरा, शासन तंत्र की सुविधा के लिए अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक जारी रख देश में द्विभाषिक स्थिति पैदा कर दी गई है। उससे हिन्दी की स्थिति नाजुक और जटिल बन गई है। तथापि, हिन्दी अपनी सार्वदेशिक प्रकृति के कारण समूचे भारत की संपर्क भाषा की भूमिका निभायेगी और देश की सामासिक संस्कृति को अभिव्यक्त करने के लिए सक्षम होगी।

आंध्र प्रदेश न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री गोपाल राव एकबोटे ने सन् 1980 में Nation without a National Language के नाम से एक पुस्तिका का प्रकाशन किया। बाद में उन्होंने इस पुस्तिका में और सामग्री जोड़ी और आचार्य खंडेराव कुलकर्णी के सहयोग से इस परिवर्धित पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद कर 'राष्ट्रभाषा विहीन राष्ट्र' पुस्तक का प्रकाशन सन् 1987 में किया। बहुभाषी भारत में हिन्दी को राष्ट्रीय एकात्मकता का निर्माण करने की शक्ति और महत्ता का विवेचन करते हुए कहा कि हिन्दी एक समन्वयवादी और उदार भाषा है। इसके विकास में इसकी अपनी बोलियों, भारतीय भाषाओं और अन्य वैश्विक भाषाओं का विशेष योगदान है। स्वतंत्रता-संग्राम से चली आ रही भावनात्मक पृष्ठभूमि है। एकबोटे जी ने यह भी उल्लेख किया है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में इसके स्वरूप का विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह हिन्दी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि हिन्दीभाषी क्षेत्रों की भाषा हिन्दी से अलग हो गई है। इसलिए इसे राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना ही चाहिए। भारत का भाषिक भारतीयकरण का स्वावलंबन और भाषा नीति भारतीय जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं और राजकीय प्रयोजनों के अनुरूप होना जरूरी है। यदि हिन्दी को पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं मिला तो भारत के विकास और प्रगति की संभावना करना व्यर्थ हो जाएगा।

भारत का स्वतंत्रता संग्राम हमारे संघर्षों का इतिहास है। आजादी की लड़ाई में हिन्दी की विशेष भूमिका रही है और इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्र की भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए एक जनभाषा का होना आवश्यक है। यह भूमिका केवल हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही निभा सकती है। गांधीजी हिन्दी और हिन्दुस्तानी में कोई अंतर नहीं मानते थे। इसीलिए हिन्दी न केवल स्वतंत्रता-सेनानियों की राष्ट्रभाषा थी, अपितु समस्त जनता ने अपने समूचे स्वतंत्रता-संग्राम में इसे राष्ट्रभाषा ही माना हुआ था। सच मानिए, उस काल में हिन्दी ही राष्ट्रभाषा थी। सन् 1906 से

1947 तक अर्थात् देश के स्वतंत्र होने तक भारत के हर देशवासी की अभिलाषा थी कि भारत की राष्ट्रीय एकात्मकता के लिए और उसे शक्तिशाली बनाने के लिए एक राष्ट्र-ध्वज, एक राष्ट्रगीत और एक राष्ट्रभाषा का होना नितांत आवश्यक है। इसी संघर्ष, इन्हीं जन-आकांक्षाओं और भावनाओं का सुफल है, संविधान का अनुच्छेद 351 । इस अनुच्छेद के पीछे अगर इस महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि को भुला दिया गया तो इसकी सार्थकता और प्रयोजनीयता समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार अनुच्छेद 351 से यह आशय निकलता है कि संविधान-निर्माता हिन्दी को मात्र राजभाषा तक सीमित नहीं रखना चाहते थे बल्कि उनका लक्ष्य उसे भविष्य में राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाना था, क्योंकि उस समय संविधान सभा के कुछ सदस्य हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने में हिचकिचा रहे थे। इस अनुच्छेद में यह भाव भी निहित है कि हिन्दी के विकास का उद्देश्य न केवल भाषायी दृष्टि से एकात्मकता स्थापित करना है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भावनात्मक दृष्टि से भी एकात्मकता स्थापित कर समन्वित संस्कृति का निर्माण भी करना है ताकि हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद मिलने में कोई बाधा न आए। इसके साथ-साथ संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं को देने का उद्देश्य यह था कि ये भारतीय भाषाएं अपना विकास करते हुए हिन्दी के विकास में भी सहयोग देंगी। उसके संकेत अनुच्छेद 351 में मिल जाते हैं।

राष्ट्रभाषा से अभिप्राय समूचे राष्ट्र या देश की भाषा से है। वह समूचे देश में बोली व समझी जाती हो और उसका यह स्वरूप सदैव अक्षुण्ण बना रहता है। यह न तो उत्तर की या दक्षिण की भाषा होती है और न ही पूर्व की या पश्चिम की भाषा होती है। यह तो समूचे देश की भाषा होती है। यह मात्र विद्वानों और शोधार्थियों की भाषा तक सीमित न रह कर जन-जन की भाषा होती है। विभिन्न भाषा-भाषियों और समुदायों के बीच का काम करती है और उनमें सौहार्द और सद्‌भावना का संबंध बनाये रखती है समूचे राष्ट्र की सामाजिक-सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता का निर्माण करती है। इस भाषा की प्रकृति सार्वदेशिकता, सर्वसमावेशिता, प्राचीन परम्परा, जीवन्तता, स्वायत्तता, उदारवादी दृष्टिकोण, अनेक स्रोतीय संवर्द्धन, मानकीकरण, संप्रेषणीयता एवं बोधगम्यता आदि विशिष्टताओं के कारण अखिल भारतीय हो गई है। इसकी प्रकृति में बिहारी हिन्दी, पंजाबी हिन्दी, हैदराबादी हिन्दी, मुम्बइया हिन्दी, कोलकतिया हिन्दी आदि अनेक रूप मिलते हैं। भाषा के ये रूप उसके व्यापक एवं विशाल प्रयोग के द्‌योतक हैं। वे सभी भारतीयों के लिए बोधगम्य रहेंगे, क्योंकि इन रूपों में उसकी आत्मा एक ही बसती है।

भारत की राष्ट्रीय आवश्यकता है कि राष्ट्रभाषा हो, क्योंकि राष्ट्रभाषा ही देश में राष्ट्रीय चेतना जगा सकती है, राष्ट्रभाषा ही सांस्कृतिक चेतना पैदा कर सकती है, राष्ट्रभाषा ही जन-जन में राष्ट्रवाद की भावना प्रज्जवलित कर सकती है। यह भूमिका हिन्दी ही निभा सकती है। इसने संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगू आदि सभी भारतीय भाषाओं और अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपनाकर और आत्मसात कर अपना सर्वसमावेशी रूप धारण कर लिया है। इस राष्ट्रभाषा को सभी भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं का भी हिन्दी के साथ आत्मसातीकरण एवं समन्वय हो गया है और यह समृद्ध एवं विकसित भाषा बन गई है। शब्द, भाव, रूप और शैली की दृष्टि से यह भाषा अखिल भारतीय हिन्दी हो गई है। इसके व्यापक प्रयोग के कारण इसके कई रूपों और शैलियों का उद्‌भव हो गया है। यह भाषा जनपदीय सन्दर्भ की भाषा उठकर राष्ट्रीय सन्दर्भ की भाषा बन गई है और वैश्विक सन्दर्भ की भाषा बनने की ओर पूर्णतया अग्रसर है। इसलिए अब समय आ गया है कि हिन्दी को केवल राजभाषा तक सीमित न रख उसे राष्ट्रभाषा के पद पर गौरवान्वित किया जाए।

◆◆◆

वाप्कोस की जल क्षेत्र में भूमिका

जैसे कि विदित है वाप्कोस, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान के अंतर्गत "लघु रत्न-1" सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। जिसका उद्देश्य जल शक्ति के संपोषणीय विकास एवं अवसंरचना परियोजनाओं हेतु एकीकृत एवं आवश्यकतानुसार समाधान उपलब्ध कराने हेतु परामर्शी एवं इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित होना है। वाप्कोस, भारत सरकार के विभिन्न संगठनों से व्यावसायिक तथा विशेषज्ञों को अपने मुख्य समूह में शामिल करते हुए बहु-आयामी परियोजना टीमों को आंतरिक तौर पर क्षमता उपलब्ध करवाने के लिए, भारत तथा विदेशों में जल संसाधन, विद्युत तथा अवस्थापना क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करवाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र

1. जल संसाधन (Water Resources)
2. ऊर्जा (Power)
3. अवसंरचना (Infrastructure)

जल क्षेत्र में वाप्कोस

वैसे उपर्युक्त क्षेत्रों में वाप्कोस कार्य करता है मगर जल क्षेत्र में भी वाप्कोस का देश-विदेश में बहुत उच्च स्तरीय योगदान रहा है जिसमें से कुछ ये हैं जैसे

1. **अफगानिस्तान के हैरात में "सलमा-डैम"** - अफगानिस्तान में 1700 करोड़ की लागत से सलमा-डैम बनाया गया जिसको वाप्कोस के सहयोग से पूरा किया गया। बांध की कुल क्षमता 63.3 करोड़ घन मीटर है। बांध की ऊंचाई 104.3 मीटर, लम्बाई 540 मीटर और चौड़ाई 450 मीटर है। **सलमा डैम का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्री अशरफ गनी के साथ किया।**

2. **नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य** - नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत एनएमसीजी, भारत सरकार एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह, उत्तराखंड के पक्ष से कार्यकारी एजेंसी के रूप में वाप्कोस द्वारा रामकुंड स्नान घाट, देवप्रयाग से राफ्टिंग एक्सपीडीशन (गंगा आमंत्रण) का उद्घाटन श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में किया गया।

3. नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत चण्डी घाट का निर्माण - हरिद्वार से चण्डी घाट का बहुत ही स्वच्छ एवं सुन्दर रूप से वाप्कोस द्वारा निर्माण किया गया जिसका उद्घाटन श्री नितिन गडकरी, तत्कालीन माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा किया गया।

4. कंबोडिया में जलापूर्ति – कंबोडिया में ग्रामीण जलापूर्ति को बढ़ाने के लिए हैंड पंपों की आपूर्ति और संस्थापन।

5. गुजरात राज्य में जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं के लिए निर्माण पर्यवेक्षण सहित परियोजना प्रबंधन।

6. इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में सेलुना नदी बेसिन बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं।

7. वर्षा जल संचयन टैकों का निर्माण।

उपर्युक्त कार्यों के अलावा भी वाप्कोस द्वारा ऊर्जा और अवसंरचना के अलावा जल क्षेत्र में बहुत से सराहनीय कार्य किए गए और उम्मीद है कि आगे भी वाप्कोस इसी तरह कार्य करता रहेगा।

ये भी बड़े हर्ष का विषय है कि वर्तमान समय में वाप्कोस की कमान श्रीमती देवश्री मुखर्जी, अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के पास अतिरिक्त प्रभार के रूप में है। आदरणीय देवश्री मुखर्जी मैडम की अध्यक्षता में श्री अनुपम मिश्रा जी, श्री पंकज कपूर जी, श्री अमन शर्मा जी, श्री ए.एन.एन. प्रसाद जी, श्री आर.के अग्रवाल जी के सहयोग से वाप्कोस नई ऊंचाईयों पर पहुंचेगा और साथ-साथ जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का मजबूत सहयोगी बन कर रहेगा।

जय हिन्द, जय जल

◆◆◆

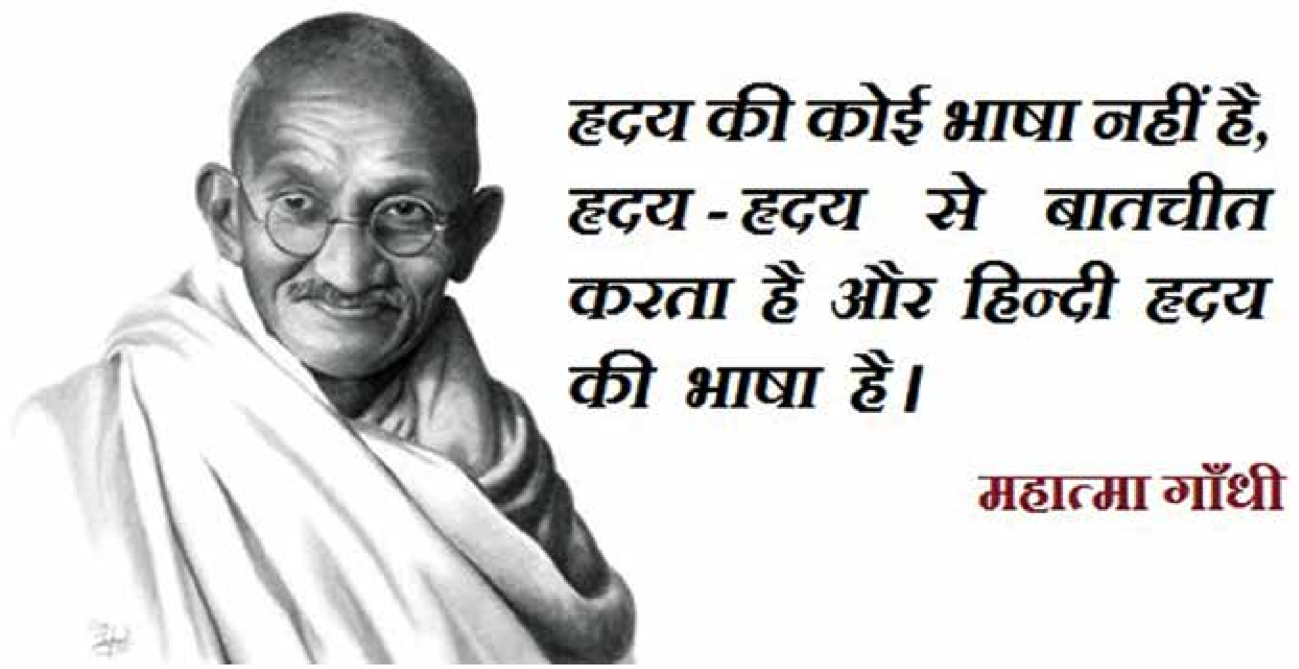

राजभाषा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश

राजभाषा अधिनियम 1963

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन तथा प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाले राजकीय कागज-पत्र संविदा करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा-पत्र, निविदा सूचनाएं तथा निविदा प्रारूप द्विभाषी रूप में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जारी किए जायेंगे।

राजभाषा नियम 1976

हिन्दी में पत्र आदि, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हों, उसका उत्तर हिंदी में दिया जाए।

राजभाषा नियम – 5

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि वह दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किया गया है।

राजभाषा नियम – 6

कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है। यदि कोई कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में करता है या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर करता है, तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए।

राजभाषा नियम – 7

यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

राजभाषा नियम – 9

सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रकिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में मुद्रित और प्रकाशित किया जाएगा। सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगी।

राजभाषा नियम – 11

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह

यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उप नियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है: और

इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें।

केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती हैं।

राजभाषा नियम – 12

राजभाषा कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नानुसार तीन क्षेत्रों में बांटा गया है:

क्षेत्र "क" : बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र।

क्षेत्र "ख" : गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

क्षेत्र "ग" : "क" और "ख" क्षेत्रों में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र।

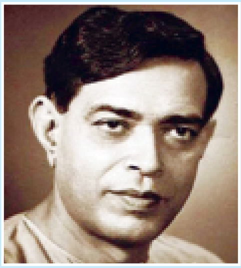

रामधारी सिंह 'दिनकर'

(23 सितम्बर, 1908 - 24 अप्रैल, 1974)

रामधारी सिंह 'दिनकर' हिन्दी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबन्धकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। 'दिनकर' स्वतन्त्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतन्त्रता के बाद 'राष्ट्रकवि' के नाम से जाने गये।

आज उनकी जय बोल

जला अस्थियाँ बारी-बारी
चिटकाई जिनमें चिंगारी,
जो चढ़ गये पुण्यवेदी पर
लिए बिना गर्दन का मोल
कलम, आज उनकी जय बोल ।

जो अगणित लघु दीप हमारे
तूफानों में एक किनारे,
जल-जलाकर बुझ गए किसी दिन
माँगा नहीं स्नेह मुँह खोल
कलम, आज उनकी जय बोल ।

पीकर जिनकी लाल शिखाएँ
उगल रही सौ लपट दिशाएं,
जिनके सिंहनाद से सहमी
धरती रही अभी तक डोल
कलम, आज उनकी जय बोल ।

अंधा चकाचौंध का मारा
क्या जाने इतिहास बेचारा,
साखी हैं उनकी महिमा के
सूर्य चन्द्र भूगोल खगोल
कलम, आज उनकी जय बोल ।

ISO 9001:2015

वाप्कोस लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
जल शक्ति मंत्रालय
(A Government of India Undertaking)
Ministry of Jal Shakti

पंजीकृत कार्यालय : 5वां तल, "कैलाश", 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001
दूरभाष : +91-11-23313131, 23313881 फैक्स : +91-11-23313134, 23314924 ई-मेल: ho@wapcos.co.in

निगमित कार्यालय : 76-सी, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुड़गांव-122015, हरियाणा
दूरभाष : +91-124-2399428 फैक्स : +91-124-2397392 ई-मेल: mail@wapcos.co.in

http://www.wapcos.co.in